The question was put and the motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Short Duration Discussion. Mr. Sibal will initiate the discussion. Mr. Sibal, your party has forty minutes.

SHORT DURATION DISCUSSION

Government's Responsibility *vis-a-vis* its investigative agencies in Ayodhya matters

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Thank you Madam Deputy Chairman. I rise to initiate this discussion and consider it a privilege to do so on the Government's responsibility *vis-a-vis* its investigative agencies in Ayodhya matters.

Madam, why has this issue arisen? Why are we discussing this issue today? It is because, in the recent past, certain events have taken place in Rae Bareli, in respect of a prosecution by the C.B.I. in which some of the hon. Ministers, in this Government, are accused. We, in the Opposition, get a feeling and the people of this country get a feeling that there is a lot of amiss happening in that court. There has been, according to us, subversion of judicial process and there has been a mockery of the values that we have stood for, a democracy, since independence. Over the years, Madam, I get the feeling that in India people think that democracy ends the moment an election has taken place on the basis of a single non-transferrable vote. That is not an end of democracy. That, indeed is a beginning of the process which we call democracy. Democracy involves many more things. It involves transparency. It involves accountability. It involves a process of law, which must be implemented without fear or favour. And that is why, today, we are discussing the role of the C.B.I. because, we believe, that the way the C.B.I. has prosecuted on this matter, which has been pending for almost eleven years, leaves much to be desired, especially in the recent past when evidence, which is in the possession of the C.B.I., was not presented, deliberately, to the court in order to save the high public functionaries who are holding Ministerial positions in this Government.

May I remind, through you, Madam Deputy Chairperson, to the Government that the people of this country had great hopes in the BJP, when the BJP and its allies came to power? I may just recall—since the Prime Minister is sitting here, just to remind him—what they had said in their manifesto. They had criticized the Congress party. They said, "In the past fifty years, the Congress has systematically dismantled all norms of honesty and integrity in Government, indulging in corruption at all levels, and resisting all attempts to bring the guilty to book." This was your charge against us. You had promised to the people of this country that you would introduce extensive regulations to ensure that conflict of interests did not influence decisions taken by those holding public offices. Yet, you retain the very ministers, who are accused, in this Government. You have violated your own promises, which you had made to the people of this country, when you sought to come to power. I remind you again, you had also said, "Give greater autonomy to the CBI, in keeping with the recent Supreme Court order, so as to prevent investigating agencies from being used to subserve the political designs of the ruling party." Yet, you are doing that very thing yourselves. You are violating the promises that you had made to the people of this country. You said that you would make it obligatory for every elected representative to make public, within ninety days, his income and assets. Yet, you opposed that Bill, when a Supreme Judgement came in this regard. You did not want to implement that. Every promise that you had made to the people of this country, you reneged on. As to the manner in which the CBI has been functioning, the less said the better. At this point of time, I don't want to be too legalistic. I would only quote what the Supreme Court had said about the CBI. This is not what the Congress party had said; this is what the Supreme Court had said. I quote, what the Supreme Court had said in one of its judgements, "Inertia was the common rule, whenever an alleged offender was a powerful person, the constitution and the working of the investigating agencies revealed the lacuna of its ability to perform whenever powerful persons were involved." (*Interruptions*)

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): What is the date of judgement?

SHRI KAPIL SIBAL: The date of the judgement was December 18, 1997. (*Interruptions*)

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh):: That was the date of ....(*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: That's correct. (*Interruptions*) In that, the very minister, who is being prosecuted by the CBI, today, was an accused. Yes, you are right. The Deputy Prime Minister was an accused in that case also. That is why I don't want to talk politics, here. I am only saying that there is a genuine concern in the minds of the people of this country that the highest investigating agency, when it comes to powerful persons, drags its feet, does nor prosecute. (*Interruptions*) I may also tell you that in every judgement the Supreme Court had said, "The CBI did file numerous chargesheets, which indicated that in its view of *prima facie* a case for prosecution had been made out. However, discharge of the accused on filing the chargesheet indicates, irrespective of the ultimate outcome of the matters pending in the higher courts, that the trial court, at least, was not satisfied that a *prima facie* case was made out. These facts are sufficient to indicate that either the invetigation, or, the prosecution, or, both were lacking." That is what the Surpeme Court had said.

Madam, the scenario that we see in our country, which has also been reflected in the Vohra Committee report, is that there is a nexus between the politicians, the criminals and the investigating agencies at the State level. That has been accepted, now. We all want to break that nexus. And, if it had been happening at the local level, we are very concerned that it is, now, happening in the highest investigating agency of this country.

And we have witnessed that scenario in the last five to ten years; whenever the Opposition is in power in a particular State, and the Chief Minister of that State is sought to be prosecuted, immediately the CBI is called upon to prosecute. In fact, in one particular case, a particular officer, who was granted extension three times by this Government, went to the extent of seeking a warrant and asking the Army to come in to arrest him. Ultimately, a Committee was set up under the Chairmanship of Shri Duraiswamy. That

Committee found that that officer had acted beyond his call of duty and that an action should be taken against him. Instead of talking action against him, this Government granted him three extensions. Whereas when in a State Government, your own party is in power, and the National Human Rights Commission says, 'Call the CBI to investigate those cases'—as happened in Gujarat—neither the Gujarat Government agreed, nor did you ask the Gujarat Government to hand over the cases to the CBI. So, the pattern seems to be clear. The pattern is, where the Opposition is in power, get the CBI, use the CBI to prosecute them. And when your own people are in power, don't allow the CBI, let the local machinery help the State Government. This is not going to be accepted in this country. Now, let me straightaway tell you what is happening in this case. And, I am glad that the Prime Minister is here. What is happening and what has happened in eleven years is most unfortunate. There were two FIRs filed; 197 of 1993 and 198 of 1993. After the investigation of FIRs in Uttar Pradesh by the CBCID, some chargesheet was filed on 27th February, 1996, under 153(A), 153(B), 147, 149 and 505 of the Indian Penal Code. However, after a little while that prosecution was handed over to the CBI and after it was handed over to the CBI on 25th August, 1993, the CBI went to the court in Rae Bareilly and asked for further investigation; that permission was granted. The CBI further investigated, and after investigation, filed a consolidated chargesheet on the 5th October, 1993. In that chargesheet, the offences for which Mr. Advani and others were sought to be prosecuted were 153 (A), 153 (B), 295, 295 (A), 120(B), 114 and other offences. Now, when that was done, thereafter, the matter went to court. And after the matter went to court on 9th September, 1997, a judgement was rendered by the court saying, "In the context of the evidence before us, Shri Advani and others are liable to be prosecuted for these offences." And a date was fixed in October for framing of the formal charge. In that invetigation, 700 witnesses were examined. There were 29 tapes, which are part of the record. That was all in Lucknow court, and even now it is in the Lucknow court. In the mean time, somebody moved the High Court in Lucknow for the purposes of getting stay on all those proceedings and a stay was granted. Ultimately, a judgement was rendered by the Lucknow High Court to the effect that at the time when the notification was issued,

no consent of the High Court was sought in transferring the case from Rae Bareilly to the Court in Lucknow. And, therefore, the proceedings were banned. They did not set aside the judgement on merits. So, the evidence remains there. Now, what happened thereafter was that the High Court further said, "Ask the Uttar Pradesh Government to issue a notification and by issuing the notification rectify the technical error so that the matter can go on." Shri Kalyan Singhji's Government was in power, they never issued a notification. Then, Shri Rajnath Singhji's Government was in power, no notification was issued. This is the point that I am making. Whenever your own people are in power, you will delay the proceedings. ...(*Interruptions*)... What happened thereafter? No notification was issued. ...(*Interruptions*)... Don't interrupt me. . . (*Interruptions*)... I am not yielding.... (*Interruptions*)... No notification was issued. ...(*Interruptions*)... What is important is that the CBI chose not to file an appeal against that order. Therefore, ultimately, it was left to Shri Kuldip Nayyar to move the Surpeme Court. The Supreme Court ultimately asked the Uttar Pradesh Government, "Why don't you issue the notification?" So, in September, 2002, a notification was issued and the matter went back to the Rae Bareilly Court. Now what is most significant is that after it went back to the Rae Bareilly Court, the CBI went to Rae Bareilly and said, 'We want further investigation.' And on 30th may, 2003, filed a supplementary chargesheet.

Now, the serious,—and that is why we have a grievance against the CBI—the real problem is that when that supplementary chargesheet was filed, the evidence in respect of all the video recordings was not forwarded to the Rae Bareilly court. I must point out to you that in the consolidated chargesheet, there were 29 video tapes in all. I have the consolidated chargesheet with me. There were 29 video tapes which showed the complicity of all the accused in the commission of those offences. And, they were part of the chargesheet as Annexure-II and Annexure-III. When the supplementary chargesheet was filed, those 29 tapes were not forwarded to the Rae Bareilly court. What is curious is that in the Rae Bareilly court some four cassettes were shown *in camera*. When their prosecutor comes out, he makes public statements even though the proceedings were held *in camera*. Now the question is, why has that record not

been sent to the Rae Bareilly court? That is the question that we ask; now that the Prime Minister is here. That is the record which is part of the judicial record. If you don't send that record, it, in fact, amounts to withholding evidence, which itself is a criminal offence under sections 201, 204 and 221 of the Indian Penal Code. These are the offences which were committed. Knowing that there is a judicial record in your possession, you don't hand it over to the appropriate court for the purposes of trial. What is the justification for that? The Government has not been able to answer this. The only answer that we get from the Government is that it is for the CBI to decide, but the CBI cannot ignore what is part of the judicial record. It is for you to ensure that the CBI—CBI is not above the law—must also enforce the law. CBI can't withhold documents. Under what provision of law, can CBI withhold documents? Why were those video recordings not sent there? Why were the statements of 700 witnesses not there? What I find is that the statements of only 49 witnesses were there before the court. What has happened to the other 700 witnesses? Why has that record not been sent? That is the heart of the matter. That is why I beseech the Prime Minister—this is not an issue in respect of the Congress Party or BJP or anybody else; this is really the fundamentals of democracy and upholding the rule of law. No matter how high you are, the law is above you, and you must abide by the law. So, why is the CBI being goaded not to abide by the law? The prosecutors who have been prosecuting this particular case for ten years are removed overnight. Why do these things happen? And this is done all by design. The Prime Minister knows. We saw on celluloid how people were commiting offences—on tape. This happened in 2001. Till date, no FIR has been lodged. And the argument is nobody has lodged an FIR. Now I am looking, in fact, for this very FIR in the *mandir* matter. The FIR has been lodged by a Station House Officer; it has not been lodged by a private party. Any Station House Officer who knows of the tapes could have lodged an FIR, but they didn't do it. Why? Because it involves your own people. When it comes to Tehelka, you are not prosecuting those who have committed offences, you are prosecuting those who are investigating those offences. What is the justification for that? I remembered of a famous poem in respect of a trial of Lord Francis Bacon. When their lordships asked Bacon,

"how many bribes he had taken", he had at least the grace to get very red in the face; you don't even get red in the face. You want to ride it out. You want to tell the people of this country, we don't care. This is exactly what you have done in Gujarat. The Human Rights Commission told you, "please hand over the investigations to the CBI". This is the Human Rights Commission, not the Congress Party. And, ultimately, you see for yourselves what is happening in Gujarat. The kind of travesty of justice that has taken place resulting in another Chairman of the Human Rights Commission having to move the Supreme Court, which I think is unheard of in the history of any country. The National Human Rights Commission, the highest protector of human rights in India has to move the Supreme Court, obviously, on the assumption that there is no possibility of the people getting justice in Gujarat. What is this Government doing about that?

When All India Anna DMK are your allies, you will protect them from the CBI. When they are not your allies, cases will be foisted against them. ...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, I object to that. ...(*Interruptions*)... We always have protection only from law. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: Okay; I am sorry. ...(*Interruptions*)... You are right. ...(*Interruptions*)... You are right. ...(*Interruptions*)... Okay; Okay; I take back my words. The law protects you. ...(*Interruptions*)... You are right. You are right. The law protects you. And, the CBI, in fact, is the one that opposes that law. ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: We have protection only from law, not from the CBI. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is this? ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, when Mayawati was not their allay, she was being hounded by the CBI, cases were filed against her. Now, that she is their allay, all those cases are forgotten. The fact of the matter is that the CBI, today, is perceived as an agency which is used for political purposes either to harass people, or to protect people. That is the fundamentals of whatever I have been

saying. ...(*Interruptions*)... Let us assume that is has happened in the past. Are you willing to go on record that that 'we are doing it?' Please state on record that you are doing it. What is the point of talking about history? The fact of the matter is, Sir, it is your manifesto that you are reading. You made seven promises to this country. All seven, you have not fulfilled. All seven. I have already stated about three. The other you said, "I will appoint a Lokpal to inquire into allegations." Madam, four years have passed, but there is no Lokpal Bill yet. Then, there was "We will modify reform and methodology of Government to approve contracts." You know how contracts are approved, and how defence equipments are procured? This is all part of your manifesto. Then you said, "We will expeditiously deal with unresolved cases of corruption"; and in which no action has been taken. Madam, let me give you a very interesting example. The Prime Minister is here. The Bofors case was filed. This happened in 1990. And, I suddenly find today that on the 4th of April, 2003, an application is filed in the Special Court seeking to prosecute Mr. Madhav Singh Solanki after 13 years. After 13 years! And, what is interesting is, the sanction is taken from the Government in 1999, and, after you get the sanction, after four years, you are seeking to prosecute him. Why? It is because the elections are round the corner. You know you want to raise the issue, of bogie of Bofors again. I remind you, and this is now I am concluding. When all this happened, when the *Babri Masjid* was demolished, the Prime Minister stated the following. He said, "This is a political offence. This is really not a criminal offence." I have the statement with me here. But this is what the Supreme Court had said, and I quote, "The miscreants who demolished the mosque had no religion, caste or creed except the character of a criminal and the mere incident of birth of such a person in any particular community cannot attach the stigma of his crime to the community in which he was born." All those people who participated in this demolition were common criminals, and we expect that common criminals must be dealt with as ordinary citizens and not as some special persons holding high positon in public life. In fact, Mr. Jethmalani is in this House. He said some prophetic words much before 6th of December, 1992. On October 16, 1990, Mr. Jethmalani, may I remind you what you said? This is what you said, and I quote, "The time bomb is ticking away.

When it explodes communal harmony and national integration will be the prime casualties. The nation will not emerge stronger but weakened and debilitated beyond measure. Mr. L.K. Advani is a Member of Parliament. He has sworn to uphold the law and the Constitution. While he will head the assembly of law-breakers what does he expect the UP Government to do? Its Ministers are also sworn to uphold the law and Constitution. The police force is statutorily committed to neutralise the marching hordes even though composed of *sadhus, acharyas,* and otherwise respectable political leaders. There is no loophole or ambiguity in the law." The law was broken in front of our eyes. Offences were committed. Mr. Prime Minister, let the law take its course. Don't protect your own people. Thank you, Madam.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Thank you, Madam Deputy Chairperson. I find a historic irony in this debate. Shri Jethmalani is here. The hon. Prime Minister is also here. Just a few days back, while we were discussing China, Shri Jethmalani was reminding the hon. Prime Minister about the speeches he had given on the question of Tibet. At least, the hon. Prime Minister was gracious enough to admit that he has changed his position with the times. I don't know what Shri Jethmalani will do vis-a-vis the statement that he has made about Shri Advani and his activities on the 6th of December, 1992.

Madam, 6th December, 1992 was bad enough and still, we are groaning under the wounds of that day of 6th December. The country has been mired in a situation from which it cannot come out, and which is really restricting and hindering our way ahead. But the point is, there would be some consolation for the nation and particularly, for the Parliament, if there were an effective initiative to, at least, ensure that there would be a proper administration of justice in bringing to book the culprits who had inflicted that heinous wound on the polity of this country. This is the second time that we are discussing this issue, and I am at least, grateful to the Government that the Minister in-charge of CBI is present here unlike the last time when we discussed this issue. Why do we have to discuss this issue time and again? Unfortunately, the hon. Law Minister of this country does not accept certain home truths about democracy in

this country! Firstly, this is not about the judicial process. This debate is all about the Executive and its sense of accountability to the Legislature. Now, our contention today is, we have a peculiar situation. The prosecution, the accused and the judges are one and the same. Shri Arun Jaitley was bragging the other day in this debate on CBI, that well, if we had dropped Section 120(B), the Judge is within his rights to consider all the evidences and ask the prosecutor.....

SHRI B.P. SINGHAL: Section 120 (B) was not dropped, because the question of dropping never arose ...(*Interruptions*)...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I seek your protection because I think we have a running commentator in this House ...(*Interruptions*)... I think my colleagues in this House are intelligent enough not to refer to his interpretations ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have not one but a couple of running commentators in this House. So, I will ask all those who want to take up this job to restrain themselves.

SHRI NILOTPAL BASU: I think that would be better. The hon. Law Minister was explaining to the House the other day that Section 120(B) is not there, but the judges are well within their rights, after examining the entire evidence, to get it incorporated as part of the chargesheet. Now, this was part of an orchestrated conspiracy.

Shri Kapil Sibal has quoted certain things, but I am not going into all that because of the fear of repetition. But the proceedings of the Lucknow court, where the Sessions Judge, hon. Justice Srivastava, when he was slating the date for the formation of the proper charges, made the point clear that the CBI has made out a case and he has acquired all the 700 evidences, witnesses; and all these video tapings and audio tapings, every thing is mentioned. Now, if the Judge is provided with all that evidence, then only he can take them on board to incorporate Section 120(B), the conspiracy charge, as part of that. Now, are we to believe, and is the nation to believe, that the Babri Masjid monument, which was standing there till 6th December, 1992, just came down on its own?

Was there no conspiracy? Was it an innocent act by a few lakhs of people who assembled there? Who mobilised them? Who

organised them? Wherefrom did they come? Was there no *Rath Yatra?* Were the people not collected from all over the country? Who did all that? Who was responsible for organising them and taking them there? All that is on evidence—seven hundred witnesses and all video tapes. I would like to know from the Government who made these video tapes. Who made these video recordings? Why did they do it? They did it because they were apprehending that some untoward was going to happen. And that evidence created the body of information on the basis of which the Section Judge concluded that there was a *prima facie* case made out by the CBI. Now if that is so, that evidence is very relevant for the judgement in this case which is going on in Rae Bareli. Now, the Law Minister says that there is nothing in this record; nothing in that evidence. If there is nothing in that evidence, then, it is all the more reason to present it to the Judges. Why are you not presenting it to the Judges? Let them decide themselves that there is nothing which will prove the complicity of the accused. He does not do that. I do not know, why? There were big stories in the Press about how powerful the Prime Minister is because when the Department of Personnel was shifted to the Deputy Prime Minister, the CBI was kept out to give the signal to the whole world that the Prime Minister, was in-charge. But I do not see any evidence on record whereby the CBI is acting on the basis of what the Prime Minister says. But what I am seeing is that every effort is on foot to portect the Deputy Prime Minister, and this, in itself, in democracy, is an anachronism. He is one of the highest authorities in the Government. He is the accused and the same Government is supposed to be the prosecutor. Now, the Law Minister, very learned one, tells us that the CBI is independent. Wherefrom the CBI officers get pay? From the Consolidated Fund of India! Then, the CBI is answerable to the Parliament. If not, then, who is responsible for answering on behalf of the CBI? The same Government is answerable. So, you have a situation where the accused and the prosecution are one and the same and the Law Minister says that they will decide as to which evidence is to be produced so that on the basis of that evidence judgement can be delivered, impartial judgement can be delivered, by a Bench.

THE VICE-CHAIRMAN, (DR. A.K. PATEL), in the Chair:

I do not know whether this whole episode is really elevating the level of maturity of our democracy. Therefore, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would, through you, ask the Government: Why was evidence not produced before the Judges? Why was the entire evidence available with the CBI not produced before the Judges? Why did the prosecution not try to have the entire proceedings in the Court, in an open Court? Why was it done behind closed rooms? And if so, why the counsels, both of the CBI, both of the prosecutors, and of the accused, came out and gave public statements and interviews to TV channels? I have seen that the CBI counsel says that no, they have given this much of evidence and the defence counsel says that whatever evidence has been produced, on the basis of that nobody can be nailed down. Was there any attempt? I mean, the Government must tell us whether the counsel for the prosecution tried to persuade the Court that this is a sensitive case because we know in a democracy, it is not adequate only to be transparent, it should appear to the people also that you are being fair.

Therefore, why the proceeding of the Court were not held in the open? Whether the prosecution counsel tried to persuade the Court to have the evidence in the open court. We do not know. There are reports that the Bar Association in Rai Bareilly have protested. There representative was also on camera.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please conclude.

SHRI NILOTPAL BASU: I will just conclude. So, this is a situation, I think, which should be put at rest. Because through this very case, it is not a question of communalism or secularism; this is a quetion of the fundamentals of rule of law in this country. If we have to salvage our democracy and act as a responsible nation and act in a manner which is commensurate with our prestige as the largest democracy in the comity of nations, we have to come clean on this and, therefore, I think doubts will remain because CBI will continue to act in the manner as they are doing and the prosecution will act in the manner as they are doing. Therefore, the only way out is to remove those ministers, who are accused in this very vital case, from the Council of Ministers.

(THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Then only, the nation can be convinced that there is an honest and sincere effort on the part of the Government to resolve this conflict of interest which is there, where we see prosecution and the accused and the Judge are becoming increasingly one and the same. Thank you.

श्री लालू प्रसाद (बिहार): धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैं उन दिनों बिहार का मुख्यमंत्री था जब राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुई थी। उस समय बड़ी गंभीर स्थिति थी। राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक, 2 नवम्बर, 1991 को, एनेक्सी बिल्डिंग, नई दिल्ली में हुई थी, मैं साक्षी हूं, गवाह हूं कि माननीय आडवाणी जी और कल्याण सिंह ने काफी जद्दोजहद के बाद, काफी बहस के बाद यह विश्वास दिलाया था कि हम मस्जिद को गिरने नहीं देंगे, हम लोग बचाएंगे, सिर्फ पूजा-पाठ करेंगे। ऐसा उन्होंने उस समय की सरकार को विश्वास दिलाया था मैं गवाह हूं। लेकिन इसके ठीक उलटा काम हुआ। आज भी वह घटना- अगर ये लोग आज या कल एक दिन भी कंटीन्यू करते हैं तो देश टूट की कगार पर खड़ा हो जाएगा। सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा को देखा जाए, अखबारों को देखा जाए, रिपोर्ट को देखा जाए, जैन टी.वी. को देखा जाए- आजकल जैन टी.वी. के लोगों के साथ पता नहीं रिश्ते अच्छे हो गए हैं या खट्टा रिश्ता है- ये सारे लोग इसे कवर कर रहे थे। पटना तक गए। पटना में हमने ईश्वर की सलाह से, खुदा की सलाह से, राम जी के रथ और आडवाणी जी को कैद किया था। इनकी यात्रा रास्ते में भ्रमण्डल हो गई। एक-एक यात्रा को देखें तो सभी जगह इन लोगों ने कसम खाई है कि, "हम राम की कसम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद का ढांचा है" यह क्या बताता है? एक जिम्मेदार पोलिटिकल पार्टी और नेता, जो आज देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वे प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर हैं। प्रधानमंत्री जी, हम लोग संवैधानिक बातें मानते हैं, लेकिन वे इनके बस में नहीं हैं। मैडम, चारों तरफ आर.एस.एस., संघ परिवार, बजरंग दल, लोटा बाबा, बाल्टी बाबा, सोटा बाबा, ये सारे एकत्रित हुए कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है। चूंकि इनको साइज़ बढ़ाना था, इनको पॉवर में आना था, इनको सरकार में आना था। महोदया, यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। यात्रा के दौरान, जो शिव सेना के अध्यक्ष ठाकरे साहब हैं, उनसे आडवाणी जी की मुंबई में गुपचुप बैठक हुई थी। उनसे भी सलाह ले करके कि हर हालत में यहां से चुने-चुने लोगों को गैता के साथ, औजार के साथ, खंती के साथ सैनिकों को भेजिए और यहां से उस इलाके से ज्यादा से जयादा लोगों को भेजिए, क्योंकि मस्जिद को तोड़ना है और तोड़ने के बाद

ही हिन्दू सेंटीमेंट उभरेगा और सरकार में लोग आयेंगे। वही बात हुई। उस समय प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिंह राव थे, उन्होंने कहा कि हमको धोखा हो गया। जो लोग बोले, जो लोग देश को विश्वास दिलाए, वे बराबर धोखा दिए। इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता हूं। भाजपा का और संघ परिवार का इतिहास ही धोखा देने का रहा है। महोदया, आज जो सीबीआई की हालत है, सीबीआई तो उस दिन मर गई, समाप्त हो गई, जिस दिन इस देश में सारे नॉर्म्स को तोड़ करके, सारी मान्यताओं को तोड़ करके ज्वाइंट डायरेक्टर - मैं नहीं मानता कि सभी सीबीआई के आफिसर्ज़ बुरे हैं, लेकिन ज्यादा गंदगी उस दिन से प्रवेश कर गई जब सीबीआई की क्रेडिबिलिटी, जिसको प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हम लोग मानते थे, कि वह सभी मामलों में सही एक्ट करती है, सीबीआई का काम था किसी भी मामले को जांच करके न्यायालय को दे देना, न कि सेना को बुला करके सारे नॉर्म्स को तोड़ करके, सारी मान्यताओं को तोड़ करके इस देश में घटना घटी, जो माननीय सिब्बल साहब ने कहा, दुरई कमीशन, इस समय नहीं है, मैं वह रिपोर्ट लाया हूं। महोदया, इसे देखने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों के साथ क्या-क्या हुआ। सवाल लालू यादव का नहीं है। जब इस तरह का व्यक्ति बेलगाम हो जाए, जो अभी आपने देखा होगा कि कोलकाता में हिन्दुस्तान का सब से बड़ा ड्रग रैकेट जिसके घर में हुआ और उस आदमी को इनाम देने की बात हुई है। उसको गवाह बनाया गया है। सारी मान्यताओं को तोड़ करके धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसलिए लोग कहेंगे कि लालू यादव, क्योंकि वह इस केस में एक्यूज्ड है, इसलिए यह बोल रहे हैं, लेकिन दुर्भावना से नहीं, आज सीबीआई के हाथ में हमारा मुकदमा नहीं है, माननीय न्यायालय में है, कोर्ट में है। कोर्ट का हम लोगों ने हमेशा आदर और सम्मान किया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्सटेंशन दिया गया, मेरा मानना है कि उन दिनों में हमारी सरकार थी, देवेगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे। उनका बयान आया, यदि समय होगा तो उसे निकाल कर आपके सामने रखूंगा। देवेगौड़ा जी का बयान आया कि बिहार के मुख्य मंत्री लालू यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं है। फिर हमको फोन किया गया कि लालू जी हमने तो बयान दे दिया, लेकिन कुछ अफसरों ने कहा कि आपका बयान देना उचित नहीं था। हमने उनको सुझाव दिया कि आप खंडन कर दो, कंट्राडिक्शन कर दो। प्रधानमंत्रीजी आप बचिए। उसी दिन से इंसाफ समाप्त हो गया। जोगिन्दर सिंह जैसे लोग आए। क्या दिल्ली में किताब लिखा, सारा जो केस था, जो 41 एफआईआर हमने किया, वाउचर, सारा ट्रैप का ट्रैप, सारा कागज जब हमने सीबीआई को दिया और हम यहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए आए कि यहां फैडरल सिस्टम है। दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को राज्यों के मामले में प्रवेश करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है।

संवैधानिक सवाल को लेकर के हम यहां आए थे और सुप्रीम-कोर्ट ने कहा कि अच्छी बात है, आपने मुकदमा किया है, बिहार सरकार ने मुकदमा किया है, आप इस मामले को हेंडओवर कर दीजिए, इन्वेस्टीगेशन करने का काम वह करेगा। जब फोडर स्कैम की बात है, जो * लोग करते हैं, टीवी में मीडिया में मेरा ट्रायल हुआ। राबड़ी देवी, बिहार की मुख्यमंत्री, जो गरीब की बेटी है, महोदया, जिनको कहते हैं अनपढ़ और वह अनपढ़, उसके घर में रैड किया गया। मुकदमा नहीं था। महोदया, यह मुस्काने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

इस देश में मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे हाईफाई परिवार के लोगों को मैं जानता हूं, जिनके दिल्ली में एक दिन के होटल के खर्चे कितने आते हैं। राबड़ी देवी पर मुकदमा नहीं था। क्या राबड़ी देवी के घर को रैड करने का अधिकार था? महोदया, हमारी बेटी, बच्चे परिवार हैं, हम पोलिटिकल लोग हैं। आपने यह परंपरा कायम की है। कोई न रहा है हमेशा, न कोई रहेगा। कल आप भी सड़कों पर जाएंगे, लेकिन आपने जो छूट दी, यह जो आपने परंपरा कायम की, इस पर सोचिए। फोडर स्कैम रिकार्डेड केस है, संचिकाओं में लिखा हुआ है। हम बिहार में कहते हैं कि लिखतम के सामने बकतम काम नहीं करता है, * काम नहीं करता है। हम लोगों के साथ जो बात हुई, वह आप सब जानते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं।

महोदया, यह 57 टैप थे। अयोध्या और बाबरी मस्जिद के मामले में 57 टैप, जो चारों तरफ से थे, उनमें मात्र 6 टैप पेश किए गए। बाकी टैप आप कहां खा गए? कहां गायब कर दिया आपने इनको? हम यह जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहता है कि किस तरह से आपने उनको गायब किया? माननीय प्रधान मंत्री जी, जब फोडर स्कैम का सवाल आया था तो झूम झूम कर आप लोकसभा में बोलते थे कि बिहार में लोग पशु का चारा खा जाते हैं, लेकिन यह इस देश में क्या हुआ? आपने वादा किया था कि देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन देश में लालू यादव ही नहीं बोलता, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों का ही आरोप नहीं है, सीएजी की रिपोट में है, सेनाएं जो बहादुरी का काम सीमाओं पर करती हैं उनके कॉफिन में घपले हुए, कफन में घपले हुए। कफन खा गए, महोदया। ऐसी सारी मान्यताओं को तोड़ डाला गया। आपने कहा था - हमारी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी। आपने कहा था, न? लेकिन, भ्रष्टाचार के, बेइमानी के सारे रिकार्ड तोड़कर नए रिकार्ड कायम हुए हैं आपकी सरकार में। महोदया, एकता परिषद के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 57 टैप, प्रधानमंत्री का भी बयान उस टैप में रिकार्डेड है। इन्होंने कहा था कि आडवाणी जी, आप अयोध्या

* expunged as order by the Chair.

संभालो, हम दिल्ली संभालेंगे। अयोध्या संभाले आडवाणी जी और आप संभाले दिल्ली। उस टैप में यह है। टैप की अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं उसे रखूंगा। क्या हुआ?

महोदया, आज भी देश जल रहा है, जल ही नहीं रहा बल्कि यहां न मंदिर सुरक्षित है, न मस्जिद सुरक्षित है, न गिरिजाघर सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है। आज देश की हालत बड़ी भयावह है। आतंकवाद अगर फला है, फूला है तो इसकी जड़ में आप लोग हैं। आस्था की जगह को आप ध्वस्त करेंगे और गाली देंगे कि यह बाबर के खानदान से हैं, यह अमुक रिलीजन, अमुक व्यक्ति के खानदान से हैं तो क्या इससे आप देश को बचाने की दिशा में कार्रवाई करेंगे? दिनांक 14-06-2002 को लिब्राहन आयोग के सामने बयान देने के बाद आडवाणी जी ने कहा कि यह मामला कोर्ट से नहीं संभलेगा। कोर्ट से नहीं संभलेगा तो यह कहां से संभलेगा? गैंता से, कुदाली से, फावड़ा से या तोड़ने से संभलेगा। कोर्ट की दुहाई देने वाले यह लोग कोर्ट को नहीं मानते। महोदया, एनडीटीवी में भी, यह राष्ट्रीय महारा में 16-03-2002 को रिकार्डेड है कि 30-9-92 को आईबी का रिकार्ड जो न्यायालय में मामला लगाया गया,...... जिसको चालान कहते हैं, IB की definite report नत्थी करके लगाई गई कि मस्जिद के ढांचे को इन्होंने गिराया है, वह भी कोर्ट के सामने है। महोदया, मध्य प्रदेश में गुना में RSS के चुने हुए लोगों की मीटिंग हुई थी कि हर हालत में हम ढांचे को गिराने के काम में ...(व्यवधान)

महोदया, IB की रिपोर्ट है कि गुना में यह तय हुआ कि ढांचे को गिराना है, हर हालत में गिराना है। जिस दिन ये लोग बाबरी मस्जिद को गिराने के काम में जुटे थे, मीडिया के लोग, BBC के लोग, सारे मीडिया के लोग जो इसको कवर कर रहे थे, उनको पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया, उनके कैमरे छीने गए और उन लोगों ने 40 मुकदमे अयोध्या में किए हैं, लालू यादव ने ये मुकदमे नहीं किए हैं, RJD ने ये मुकदमे नहीं किए हैं। ये मुकदमे देश और परदेश के मीडिया के लोगों ने किए हैं। उस मामले को भी आपने दबाकर रखा है, यह भारी षडयंत्र है। जब षडयंत्र का मामला आया, जब आपके केन्द्रीय मंत्री डिप्टी प्राईम मिनिस्टर पकड़ में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे गलती कैसे हो गई? आपने ऐसा क्यों बोल दिया? हम लोगों को अफसोस हुआ। हम लोगों को मालूम है कि आपके लोगों ने ज़लील किया। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आदर करता हूं। पता नहीं आप किस मायाजाल में, किस भ्रम में फंस गए। किस भवजाल में आप फंसे हुए हैं? आपको इतिहास कायम करना चाहिए। आदमी का पद पर आना-जाना तो लिखा रहता है लेकिन आपको इतिहास बनाना चाहिए था। आपको कहना पड़ा "न मैं retired हूं, न मैं tired हूं।" आपको यह कहने की क्या जरूरत थी? फिर लोगों ने कहा कि अगर वाजपेयी जी को minus करोगे तो फिर कोई वोट देने वाला नहीं है। हम लोगों को मालूम

है कि फिर आपको आगे कर दिया गया। आगे किसको कर दिया जाता है? आपको आगे धकेलकर लोग वोट लेना चाहते हैं। आपको वोट मिलने वाला नहीं है, पावर में आप नहीं आने वाले हैं। यही मौका है कि आपके जो डिप्टी प्राईम मिनिस्टर हैं, जो सीधे धारा 120 में बाबरी मस्जिद को गिराने के षड्यंत्र में इन्वॉल्व हैं, आप अपना दिल का कांटा निकाल दीजिए। आप निकाल दीजिए इसी समय और हाऊस में स्वीकार कीजिए कि हमसे यह भूल हो गई थी। चाहे कोई भी आदमी हो, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। चाहे हम हों या कोई हो, सब बराबर हैं। इसलिए आपको एक निर्णय लेना चाहिए।

महोदया, मैं आपकी बेचैनी को महसूस करता हूं, मैं आपकी परेशानी को भी समझता हूं।

उपसभापतिः हां, मुझे टाइम की चिंता है। आप बैठिए ...**(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसादः महोदया, मैं बहुत गंभीरता से आपकी तकलीफ को समझता हूं। मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, परमहंस रामचन्द्र दास जी स्वर्गीय हो गए। जो स्वर्गीय होता है, उसके विषय में हमारा high opinion है। वे हमारे यहां के थे। हमने कहा था कि वे छपरा में हमारे क्षेत्र सोनपुर के बाबा थे। हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। वे परमहंस थे। अब वे नहीं हैं। बुरा हो या भला हो, जब आदमी स्वर्ग में चला जाता है, जन्नत में चला जाता है तो वह महान होता है। प्रधानमंत्री जी, आप उनकी अंत्येष्टि में गए और आप इतने डर गए कि आपने वहां बयान दे दिया कि मंदिर यहीं बनाएंगे। जब NDA के लोगों ने आपको पकड़ा तो आपने कहा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था। ND TV के कवरेज को झूठा कह रहे हैं आप ...**(व्यवधान)** आप ND TV को बुलाइए। ND TV में विजुअल है। वह दूसरा प्रधानमंत्री कहां से आ गया? आपके चेहरे का दूसरा कोई आदमी आ गया क्या? कोई मोम के बनाए हुए व्यक्ति वहां नहीं आए, आपको वहां बोलते हुए दिखाया गया कि मंदिर यहीं बनाएंगे, हम फिर राम की कसम खाते हैं ...**(व्यवधान)**

इस सरकार ने सी०बी०आई० का दुरुपयोग किया है। सी०बी०आई० में सब लोग बुरे नहीं हैं, सी०बी०आई० में सभी पदाधिकारी बुरे नहीं हैं। हम भी सी०बी०आई० को नजदीक से जानते है। इन्होंने सी०बी०आई० को डि-ग्रेड किया है, इंसल्ट किया है और दबाया है उनको बचाने के लिए। इसलिए हम आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। हम इस्तीफे की मांग तब वापिस ले लेंगे जब आप सभी केन्द्रीय मंत्रियों पर जो 120 का मुकदमा दर्ज

है वह ज्यों का त्यों रहे और न्यायपालिका फैसला दे, तभी हमको संतोष होगा। मैडम, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको घंटी बजाने का आगे मौका नहीं देना चाहता। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभापति: घंटी तो मुझे इसलिए बजानी पड़ती है कि आपकी पार्टी के सिर्फ पांच मिनट हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हूं, नहीं तो कल आप ही कहेंगे।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Deputy Chairperson, last week, in this very House, on the same subject, we had a detailed discussion. After I was listening to the very distinguished Members of the Opposition benches, I was only wondering as to what had so happened in the last seven days that we should be debating the same issue, over again, on a Motion which has now been worded slightly differently! And the Motion, as it has been worded, is with regard to the jurisdication of the Central Government over the CBI and the accountability of the Central Government. Last week when the discussion took place, we concentrated primarily on one case. But, in a bid to, attempt, at least, to discredit the premier investigative agency of this country, my learned friends tried to expand it to a large numbr of cases. But when you try to expand it without a factual base, when you tried to go in for an overkill, without a factual foundation, there are many weak spots in your argument, that you leave behind.

I deal with the Ayodhya case, at Rae Bareli, a little later. Mr. Sibal read out extracts from a Judgement of 18th of December, 1997. That Judgment does not relate to the 13-day period of 1996 when Mr. Vajpayee was the Prime Minister. If the Judgement does refer to the period prior to 1997, where the high and mighty have been spared by the investigative agencies, Mr. Sibal should look around his own companions, and his current supporters on the Opposition benches, to understand the context in which those observations were made. But let him not forget that the same Judgement of 18th of December in Vineet Narain's case arose in a particular context of some diaries of a particular person being found, and the same Judgement completely defeats the proposition which today's Resolution seems to be canvassing; the CBI should be

made immune from political pressures; the appointment of the Director of CBI must not be by the Government, but by a Committee headed by the Chief Vigilance Commissioner. No Government of the day, and I repeat, Madam, neither under the law, nor under the mandate of the Judgment of the Supreme Court, nor of any precedents in similar democracies, has the power to tell an investigative agency as to which is the accused that it must prosecute. No Government can tell the investigative agencies which is the section under law, which it can invoke. And no Government of the day can ever tell the CBI what is the quantum of evidence against an accused that you are going to file. ...(*Interruptions*)... Premji, the Government of the day can't direct the CBI, and, I am sure, the Opposition of the day also can't pressurise the CBI to do the same. The CBI will move as per its record.

Let my friend, Mr. Sibal, not to forget that after 18th of December, 1997, when the Supreme Court said, "prosecute these people"; people were being prosecuted. But just three months later, in March, 1998, in relation to the same case, he mentioned that the present Deputy Prime Minister was an accused. I see him sitting in the company of a large number of his colleagues who were also accused in that case. Thanks to his forceful advocacy, the same Supreme Court said that the documents, on the basis of which all this has been said, were no evidence in the eyes of law, the message being that no innocent can be prosecuted or punished and no guilty must be spared. That is the mandate of the law. Therefore, just quoting a sentence out of a judgement, as though it was an indictment of the NDA Government, was completely out of context. You charge, Mr. Sibal, that where the opposition is in power, you let loose the CBI against the opposition. Just read section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act. That is the Act under which the CBI is constituted. The Central Government has no role. Mr. Lalu Prasad Yadav was very right when he said, "based on the federal polity of India, law and order is a State subject; the investigation is a State subject". The Central Government has no power to ask the CBI to investigate a case against any opposition-ruled State Chief Minister, unless the consent of that State Government is taken. Therefore, your hypothetical example, "you are letting loose the CBI against

the opposition Governments", is a pure hallucination because the Central Government, in law, can't let loose the CBI or any agency on any friendly or unfriendly State Governments. The law does not empower it to do so, unless the State Government specifically consents to it. But, today, when you went in for an overkill to attack the CBI, you mentioned the case. ...(*Interruptions*)...

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): We mentioned both the High Court orders. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Yes, that is a court order. ...(*Interruptions*)...

उपसभापति: आप बीच में दखल मत दीजिए। It is not proper. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: You, then, went in for an overkill and said, "you selectively used the CBI aginst or in favour of the Chief Minister of Tamil Nadu". But let me just remind you that in all the cases against the Chief Minister of Tamil Nadu, where the judgements have been pronounced by the courts, either in her favour or against her, the CBI is not even an investigating agency or a prosecuting agency in a single case. There is only one case, which is still pending trial, which the CBI has been following. None of the cases, where she has received the benefit of a court order or she has been convicted at some stage and then appeals have been filed and taken a different view, has anything to do with the CBI. Then you turn around and say, "You have prosecuted all these people and you have used the CBI. Then, why had you gone ahead against the poor Madhavsinh Solanki?" I am not going into the quantum of the charges against him. That is a matter for the court to decide. But he did something. Let alone our indicting it, let alone the CBI prosecuting him, even your Government at that time found it embarrassing to have him continue in the Cabinet. ...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: That is why I am taking of Mr. Advani being in the Cabinet. ...(*Interruptions*)... Mr. Solanki upheld the moral responsibility. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I will come to Mr. Advani being in the Cabinet. ...(*Interruptions*)... I will come to Mr. Advani being in the

Cabinet. Today, when you shed crocodile tears for Mr. Solanki, please remember that for the actions that Mr. Solanki did, your Prime Minister found it embarrasing to continue him in the Cabinet even for a single day. My friend, Mr. Nilotpal Basu, came out with a very attractive suggestion. But let me tell him that it is, perhaps, one of the most dangerous suggestions that I have heard. He said that the salaries of the police officers and the CBI are paid by the Government out of the Consolidated Fund. The questions are answered in the Parliament, on behalf of the CBI, by the Department of Personnel. When the questions are answered by me on behalf of the Election Commission of India, their salaries are also paid out of the Consolidated Fund. ...(*Interruptions*)... I also answer questions, and I am grateful to Mr. Nirupam, on behalf of the Indian Judiciary. Mr. Ravi Shankar Prasad answers the questions on behalf of the Press Council. They don't come under the jurisdiction of the Government in relation to their independent functioning. If that was an argument that the political establishment should be empowered to tell the CBI whom to prosecute and whom not to prosecute, it is a very dangerous suggestion that you are seeking to establish. A reference was made to the Bihar case.

Calling in the Army may have been improper, very improper. But that was an action which was taken much before the NDA Government came to power.

डा० कुमकुम राय (बिहार): लेकिन उसे सजा तो नहीं मिली।

श्री अरुण जेटली: देखिए सजा हुई या नहीं हुई किन्तु आज हम इस सरकार के संदर्भ में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह सरकार दुरुपयोग कर रही है? गुजराल साहब इस देश के....

श्री कपिल सिब्बल: आप जवाब दीजिए न।

श्री अरुण जेटली: मैं जवाब दे रहा हूं। गुजराल साहब ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार (गुजरात): दूसरे प्वाइंट का जवाब दीजिए। ऐवीडेंस का क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप लोग चुपचाप बैठिए। जवाब देने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI NILOTPAL BASU: He cannot give selective logic, Madam. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I am not answerable to anybody. ...(*Interruptions*)... I am only asking you to sit down. (*Interruptions*) I am not answering. (*Interruptions*) Please sit down.

श्री अरुण जेटली: अगर वह अनुचित था - अगर कांग्रेस के मित्र भूल गए हैं तो लालू जी को तो स्पष्ट याद होगा कि गुजराल साहब की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। शायद एक या दो बार लालू जी ने ही उन्हें संसद के अंदर बिहार से भेजा था। इसलिए इस सरकार के ऊपर आरोप लगा देना कि आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि 1997 में गुजराल साहब ने यह घटना की थी, मुझे लगता है कि आज के इस संदर्भ में अपने आपमें उचित नहीं है।

श्री प्रेम गुप्ता: आप खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, वह गलत काम किया। ...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: ऐक्सटेंशन दे दिया। ...(व्यवधान)...

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, that takes me to the only other case which is being referred to. The suggestion which is being made is that, because the conspiracy charge is not included in the Rai Bareilly charge-sheet, it is a special act of favour which is being shown because some of the accused are Ministers of this Government. The CBI, Madam, we have categorically said, is to function independently. This Government hasnot, should not and will not, give any direction to the CBI, as to under what section an accused is to be prosecuted. Let us just remember... (*Interruptions*) Let us just remember the chronology which Mr. Sibal today, again, has mentioned, and which we discussed even last week before the House. Let us keep in mind what is this conspiracy charge all about.

Madam, when the unfortunate incident of 6th December took place—we do remember, and Mr. Sibal rightly mentioned—two FIRs were registered on the same day. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please keep quiet.

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): किसने किया? ...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप बैठिए। You sit down, please.

SHRI ARUN JAITLEY: Two FIRs were registered on the same day. It was somewhat strange, because today the case made out is that the whole incident was one; there has to be one charge-sheet; everything that happened was together. We were not in power at that time. Mr. Narasimha Rao was the Prime Minister. Some of the hon. Members on the Opposition benches were Ministers in that Government. But, for some reason, to different FIRs are registered, perhaps, Madam, rightly so, one against Mr. Advani and others, and the second FIR against other people who, they thought, were involved in the larger offence. Not only were two FIRs registered---because it may be said tht the FIRs were registered in the evening; Mr. Kalyan Singh technically was still the Chief Minister—but on 13th of December, when President's rule had already been imposed on the midnight of 6th, a conscious decision was taken by the Central Government. Only one FIR was referred to the CBI. The other remained with the CB-CID of UP Police for investigation. So, the Government at the Centre thought that, with two different FIRs, separate offences, it should have two different investigating agencies. The UP CB-CID, along with its evidence, on 27th February, files a charge-sheet. The investigation is complete; the charge-sheet is filed. In the other case, the CBI continues with the investigation, but, sometimes in the month of August, wisdom dawns on some people, "Why do we have these people only in this offence? Let us link this charge-sheet which has already been filed, and while trial begins, take it out and consolidate it with the larger offence".

SHRI KAPIL SIBAL: Whose wisdom was it? CBI's (*Interruptions*) It was the CBI who did it. (*Interruptions*)

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): It was the CBI, who ... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I am very glad, Bhardwajji, tht you are now...(*Interruptions*)

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Now, I am cautioning you, if you say that it was somebody else, other than the CBI, It was the Law Minister, I know, on the 25th of....

श्री अरुण जेटली: आपकी सरकार में सिर्फ सीबीआई तय करती थी और हमारी सरकार में ...(व्यवधान)...

श्री हंसराज भारद्वाज: मुझे यह नहीं मालूम कि सी॰बी॰आई॰ तय करती थी ... (व्यवधान)...

श्री अरुण जेटली: आपका तर्क यह है कि आपकी सरकार में सी॰बी॰आई॰ तय करती थी और हमारी सरकार में हम तय करते हैं।

श्री हंसराज भारद्वाज: आप अपने आपको गलत फंसा रहे हैं किसी और का नाम लेकर। सी.बी.आई. ने ही कंसॉलिडेटेड चार्जशीट 5 अक्टूबर को लखनऊ में डाली थी और यह आपको सदन में कहना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: मैं आपका बहुत आभारी हूं। उपसभापति जी, मुझे बहुत खुशी है कि भारद्वाज जी खड़े होकर यह कह रहे हैं कि एक परंपरा बहुत अच्छी थी कि ये जितने निर्णय थे, ठीक थे या गलत थे, राजनीतिक विंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और यह सिर्फ सी.बी.आई. ही तय करती थी। एक केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी, छः महीने से मुकदमा चल रहा है and suddenly, you decide that a filed charge-sheet should now be referred to the CBI for fresh investigation.

SHRI KAPIL SIBAL: Can be done.

SHRI ARUN JAITLEY: Can be done! Normally, it is never done. Why was it done? (*Interruptions*) Mr. Sibal, let me complete. (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Don't make wrong statements on law. (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: It is factually a correct statement.

SHRI JIBON ROY: Are you taking the position of the CBI? (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: The Law Minister should not take the permission of the court. The court is granted permission... (*Interruptions*) It has nothing to do with the CBI.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sibal, while you were making your points, from this side, nobody disturbed you.

SHRI KAPIL SIBAL: I am stating the facts.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not the way, because somebody could have put a question to you on your facts. So, I did not allow and the Minister did not speak. So, if you want a meaningful.... (*Interruptions*) Just a minute. (*Interruptions*) Even you are interrupting me. I am saying that this never happened before, in two weeks, in the same Session, we are discussing this issue. It means, you are serious about the issue. If everybody is serious about the issue, and if it is above political consideration and only about the investigation agency, then, let him reply because he is answerable to the House.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I repeat that a charge-sheet which has been filed on 27th February, in the month of August, in a filed charge-sheet investigations are now referred and the investigating agency is changed from U.P. Police to the CBI. At this stage, for a consolidated investigation, I have already referred to it in the reply, last week in this House, under section 11 of the CrPC, you required the permission of the State Government which had to give you permission with the consent of the High Court. The State Government, then under President's rule, for detailed reasons to be recorded, does not give the permission and obviously, the High Court was not approached. But, then, there was some kind of a hurry to consolidate the two and in violation of the statutory provision, a consolidated charge-sheet was filed. The rest is all history, Mr. Sibal has cited it. The judge frames the charge. The matter goes to the High Court. The High Court says, 'with regard to accused number in 197, the charge is sustained; with regard to 198, it is set aside. Either you correct this error or the case has to be separately tried.' The matter goes to the Supreme Court. The U.P. Government informs the Supreme Court that we have constituted a court and the trial is on. Let us now come to the whole question of evidence. The tapes are filed—I read news item because some charges have been made on the last date of hearing—tapes tempered with—tapes are evidence—in 1993 in the Rae Bareilly court or the Lalitpur court. When the case was transferred and consolidated with Lucknow, the

court record goes to Lucknow. When the High Court says, 'it has to be segregated, it has to go back, the court record comes back and goes to Rae Bareilly.' Since 1993, all tapes have been in the custody of the court. Not on a single day, have they been in the custody of the CBI. And today, you have some suspicions being created. Is this a suggestion that tapes in the custody of the court have been doctored by somebody? Tapes, since 1993, have been continuously in the custody of the court. The CBI, after the High Court judgement...

SHRI KAPIL SIBAL: Which court?

SHRI NILOTPAL BASU: Which court?

SHRI ARUN JAITLEY: Well, for you convenience, I will repeat it. These tapes are filed in the Rae Bareilly court. When the consolidated charge-sheet takes place, they are transferred along with the court record to Lucknow. After the High Court judgement and the Supreme Court directive that now there is a separate court, the Lucknow court then transmits those tapes back to the Rae Bareilly court. The tapes are a court record. They have, all along for the last ten years, been in the custody of the court; never been in the cutody of any agency other than the court, even for a single minute.

SHRI KAPIL SIBAL: Is it your statement that the 29 tapes are all in Rae Bareilly (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I am precisely coming to this question. (*Interruptions*) Today, is this a trial by a political debate which is on? Is this a trial by the media which is on? After all, the rule of law can't be subverted. When a court is hearing arguments on framing of the charge, you have a trial in Parliament; one day, a news item will carry, on the basis of what is said in the House, "Tapes doctored and so and so", because there is immunity. But, the fact is, tapes have all along been in the custody of courts, and, therefore, Madam, this is my submission. Once there is a separate chargesheet in the Rae Bareilly, and the basis of the separate chargesheet is the entire judicial process, which is backed by the fact that in the first instance, you had a separate FIR, you had a

separate investigative agency, you had a separate chargesheet, and thereafter, you thought, "Somebody may have conspired. Let us consolidate it and add a conspiracy charge." The question which will have to be decided, eventually, is: Was there a conspiracy to add the conspiracy charge? Or, has the judicial process caused that?

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: The CBI conspired that. (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Bhardwaj, I am not saying so. You have said all kinds of factually incorrect things about the CBI and I am not joining issue on that. All that I am saying is, today, after a judicial process... (*Interruptions*) Madam, all that I have to say is, whether a particular chargesheet... (*Interruptions*) That is the question which will have to be decided. (*Interruptions*)

SHRI B.P. SINGHAL: Don't be impatient. Listen to the Minister, please. (*Interruptions*)

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Who is that somebody, who is that culprit? (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the reply is known to my learned friends. Mr. Sibal, will you sit down? (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Are the 29 tapes in the Rae Bareilly court? That is all we want to know. (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, the question is: Why did this happen? It is really for my learned friends to introspect. It is an unusual procedure. The Governor's adviser said that the two can't be clubbed. The High Court's permission is not taken. Somebody will have to ask the question: How did then the clubbing take place? (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: The 29 tapes, are they in the Rae Bareilly court? (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Sibal, I have answered your first question when you said, "Who conspired?" The answer to the second question is... (*Interruptions*)

उपसभापति: जरा बैठिए। ...(व्यवधान)... अगर आप इसी तरह से इन्टरेप्ट करेंगे तो टाइम खतम हो जाएगा। ...(व्यवधान)... अभी बेसिक क्वेश्चन नहीं ...(व्यवधान)...

बैठिए, बैठिए। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Please sit down ...(व्यवधान)... Take your seat ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी (उत्तर प्रदेश): मैडम, इसका जवाब चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: वे जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए। (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I have already said in the beginning that once there is no charge under Section 120B, and once, after the judicial pronoucement the CBI comes to a *prima facie* view that 120B is not attracted, on the basis of all the charges, what documents are to be filed, what witnesses are relevant, what sections are relevant, it is not for the Government to direct the CBI; it is for the CBI to reach its own conclusion. And, the CBI's discretion is always subject to any judicial review, it can't be a matter of a political debate, because the investigating agency has come to the conclusion, after the pronouncement that these are the charges which are to be levied, these are the documents they feel which are relevant for this chargesheet, and that they will file the relevant documents. All that I have to say, Madam, is, we had this discussion yesterday. Legalism will be decided by the court. Let us not discredit the premier investigating agency of this country. The Government can't direct it under what section to prosecute an accused. The Opposition can't pressurise it. The autonomy and independence of the CBI has to be maintained and it is, also for this House to respect that autonomy and independence. Thank you.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak. Madam, in this very session, just a week before, on 23rd July, we had a detailed discussion on the alleged role of the Government in pressurising the CBI for dropping the conspiracy charge against some of the persons involved in the Babri Masjid demolition case. During that debate, I expressed my serious concern about the way non issues like Ayodhya and Babri Masjid are being brought time and again for discussion, and sometimes the House being stalled which inevitably is consuming more time of this august House. I was told that issue has been discussed forty-five times in both the

House. Madam, I have never known the proceedings of this august House being stalled for not achieving the 8 per cent growth rate as the Government proclaimed. I have never known the proceedings of the august House being stalled that in the Human Development Report of the UNDP, has reported that India has slipped this rank in terms of the human development index by four positions. I have never seen the House being stalled when 30 per cent of the people are being under-fed in this country. The House may kindly recall that I have said in no uncertain terms during the earlier debate, which took place on 23rd July when we discussed the role of the CBI, that in the process of settling political scores, we cannot without enough evidence at our command cast aspersions on an organisation like the CBI which with all its alleged shortcomings is still functioning by and large in a very independent and sound manner in this country. Even for a while if we assume that the CBI is being influenced and it is acting on the instructions of the Government of the day or on the persons who are accused in the Babri Masjid case, the courts in India have enough powers to read through this mischief. There were many occasions in the past when the courts hauled up the investigative agencies like the CBI either for diluting or for filing wrong charge-sheets. This, however, does not mean that the Government or the persons who are at the helm and who are enjoying power, against whom some cases are pending in the courts, have a right to intervene in the functioning of the CBI and take a chance that the court may overlook this. If I am correct, successive Governments have done enough, maybe, at the behest of the Supreme Court, for providing adequate independence to the investigative agencies like the CBI. I do not think that the Government can straightaway appoint or sack the CBI Director at its unilateral will. In fact, I introduced a Private Member's Bill for making the CBI an autonomous institution which is still pending before the House. Maybe, it is the time, the CBI was given is still pending before the House. Maybe, it is the time, the CBI was given an autonomous Constitutional status like the CAG with a provision that four of the top positions in the CBI or the CVC would be entitled to any governmental nominated positions after retirement, including, perhaps, the political posts. I appeal to all the political parties, let us mobilise our energies and utilise them for solving the burning

problems that are being faced by the nation than wasting our time on non-issues like this. Thank you.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी, हमारे विपक्ष की ओर से माननीय कपिल सिब्बल जी और लालू प्रसाद जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, स्वयं को उससे संबद्ध करता हूं। आज प्रश्न इस बात का है कि हमारे देश में जो जांच एजेंसियां काम करती हैं, उन पर कोई प्रश्न चिह्न तो नहीं है? बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां, जो मानी जाती थीं कि वे इंडिपेन्डेन्ट हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारी सरकार, इस समय केंद्र में मौजूदा सरकार है, उसके नेतागण, उसके कार्यकर्त्तागण जब जनता के बीच में जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। अदालत में बयान देते हैं तो वे और होते हैं और सदन में जब बात आती है तो उनके विचार या उनके वक्तव्य और किस्म के होते हैं। जनता में जब जाते हैं तो कहते हैं कि राम मंदिर हम बनायेंगे और मस्जिद को हमने ही गिराया है। यह हिन्दुओं में जो इस ढंग के लोग हैं, जो धर्म के ऊपर किसी भी ढंग से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, उनके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता यही कहते हैं कि राम मंदिर हम वहीं बनायेंगे और बाबरी मस्जिद को हमने ही गिराया है। लेकिन अदालत में यह बात नहीं कहेंगे, सदन में भी यह बात नहीं कहेंगे। ये जो इस ढंग की बातें हैं, इससे सरकार की विश्वसनीयता पर और जांच एजेंसियों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लगता है। अब सवाल यहां पर यह है कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार यह कहे, सी॰बी॰आई॰ से कि वह उस व्यक्ति को प्रोसीक्यूट करे, प्रश्न यहां इस बात का है कि जो वीडियो रिपोर्ट थी या वीडियो टेप थे और जो गवाहों के बयान थे, वे कहां गए। सात सौ बयान गवाहों के थे, जैसा कि माननीय सिब्बल जी ने भी कहा, वे कहां हैं, वह फाइल कहां है, वह क्यों नहीं अदालत के सामने पेश की जाती? और 57 जो वीडियो टेप थे, 29 वीडियो टेप्स के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न पूछने पर भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वे उस अदालत के पास जमा हैं, वे कहां हैं, यह तो बतायें। यह बताने को तैयार नहीं हैं। यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक भी जो हमारी यह सबसे बड़ी संस्था सी॰बी॰आई॰ है, वह स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। वह स्वायत्तशासी संस्था जब बन जाए तब आप अगर ऐसी बात कहें कि सरकार का उसमें कुछ वह नहीं है, तो बात मानी जा सकती है। लेकिन जब वह स्वायत्तशासी संस्था अभी तक है ही नहीं तो इस पर कौन विश्वास करेगा? इसी प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री जी के बयानों के संबंध में बात आती है। महोदया, आज सवेरे यह प्रश्न उठा था कि प्रधान मंत्री जी जब रामचंद

परमहंस जी की अंत्येष्टि के मौके पर गए तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर हम बनायेंगे और यहीं बनायेंगे। फिर कल उन्होंने कह दिया कि मैंने यह बयान नहीं दिया। इस ढंग की बहुत सी बातें आती हैं। यह प्रश्न जो इस समय सब से गंभीर है वह यही है कि इस सरकार की विश्वसनीयता पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जनता में आपका विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है और जांच एजेंसियों के बारे में, विशेष रूप से सी॰बी॰आई॰ के बारे में जो विश्वसनीयता अभी तक थी, वह खत्म हो गई है। जनता का उस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। आप यह बात जो कहते हो वह बिल्कुल भ्रम में डालने वाली है, चूंकि वह अभी तक स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। वह आप ही के अंडर में काम करती है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये बहुत गंभीर प्रश्न हैं। आप बताएं कि वह 700 गवाहों के बयानों की फाइल कहां है और 57 का तादाद में तो वीडियो टेप थे, वे कहां हैं? देश के लोग यह सब अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया जानती है कि किस प्रकार से बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, किस ढंग से योजनाएं बनीं, कैसे-कैसे भाषण हुए, रथ यात्रा के दौरान कैसे भाषण हुए, क्या-क्या कहा गया, सारी दुनिया इन बातों को जानती है। आप इसको झुठला नहीं सकते। चाहे आप लिब्राहन आयोग के सामने कुछ और बयान दें, यहां पर कुछ और बयान दें और जनता के बीच में कुछ और बयान दें, लेकिन देश और दुनिया इस बात को जानती है कि आपकी विश्वसनीयता नहीं रही है। आप जो बात कहते हैं, सब जगह एक सी बात नहीं कहते। मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस बात को देखिए कि वे जो 700 गवाहों के बयान हैं, वह फाइल और वीडियो टेप कहां है, इसका पता बताएं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri C.P. Thirunavukkarasu. Please abide by the time. Nobody is abiding by the time. You have five minutes.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Madam, the Short Duration Discussion is on the Government's responsibility *vis-a-vis* the investigating agency on the Ayodhya matter. Since, the matter involves Government's responsibility, I would like to say a few words before this august House. For the past two days, hon. Prime Minister had been making certain statements, and had given some clarifications also. With regard to that, I would like to say a few things. The hon. Prime Minister has made it clear, today, in the other House, explaining that there is no departure of the Government's

stand on the Ayodhya issue, which is very much in confirmity with what had been accepted in the National Agenda of the NDA.

Our stand is well known that the Ayodhya dispute should be settled either by a court verdict or through a negotiated settlement. However, the hon. Deputy Prime Minister is reported to have said, "Nobody could stop the wishes of Ramachandra Parmhans, who dreamt of building a Ram Temple at Ram Janma Bhoomi, Ayodhya. A temple will definitely be built. There are three solutions to this problem. One, by an order of the court; the other by a dialogue; and the third, by bringing forth a legislation. But the Ram Temple should be built only at the Ram Janma Bhoomi. No other structure should come there. This wish of the people should be accepted by all sections of the people, and that is the best way." A suggestion was made by the hon. Deputy Prime Minister for bringing a legislation to construct a temple, which cannot be accepted.

Our party, the D.M.K., headed by Dr. Kalaignar, had accepted only the proposal of negotiated settlement or through a court's verdict. But the settlement through negotiations has failed. It should not be forgotten that the recent attempts by Shankaracharya of Kanchi Math to settle amicably through negotiations between the two communities have failed. Anyhow, the Government of India may venture for a negotiated settlement directly by itself.

At present, we have practically left with the only option through judiciary, apart from the negotiated settlement, if any, by the Government. We expect that all the communities should abide by the court's verdict.

We also hope that the Government of India will abide by the assurance given to the minorities, through the National Agenda of the NDA, to maintain the integrity and unity of India.

Finally, the CBI would take into account the sense of this House and act accordingly, because only court is entitled to alter a charge, drop a charge or add a charge. Taking this fact into account, the CBI can act.

With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, धन्यवाद। महोदया, पिछले हफ्ते हम लोगों ने इसी सदन में लगभग इसी विषय पर चर्चा की थी। तब चर्चा के लिए जो प्रस्ताव आया था, जो मोशन था, उसमें आरोप यह लगाया गया था कि सी॰बी॰आई॰ ने इस देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के कुछ और सदस्यों के खिलाफ जो आपराधिक षडयंत्र का मामला था यानि 120(बी) का, उसे विदड्रा कर लिया। इस पर बड़ी जोरदार बहस हुई। उस बहस में कुछ निकलकर नहीं आया। फिर एक हफ्ते बाद हम उसी सीबीआई की भूमिका पर एक दूसरे पहलू को लेकर चर्चा के लिए आज यहां पर बैठे हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक: आज विषय दूसरा है।

श्री संजय निरुपम: पिछले हफ्ते क्वैश्चन आवर सस्पेंड कराया गया था, एडजोर्न कराया गया था इस विषय पर कि सीबीआई ने कोई आडियो टैप और वीडियो टैप जो था आडवाणी जी के 6 दिसंबर, 1992 के भाषण का, उस वीडियो टैप को रायबरेली कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया। मेरे ख्याल से यही विषय था। अब रायबरेली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुनवाई चल रही है तो रोज इसमें जो वकील हैं वे अपने तर्क लेकर आएंगे। मेरा पहला प्रश्न यही है, मुझे पहली चिंता यही सता रही है और वह यह कि रोज रोज सीबीआई के वकील किसी न किसी तरीके को लेकर कोर्ट में आएंगे और अगर उससे विपक्ष सहमत नहीं होगा तो क्या हर हफ्ते हम रायबरेली कोर्ट की सुनवाई के ऊपर एक अलग से सुनवाई राज्य सभा में करेंगे या संसद में करेंगे? पिछली बार आरोप यह था कि जो आरोप लगाया गया उस आरोप को वापस लिया गया और इस बार आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो सबूत है वह सबूत ही गायब कर दिया गया। सबूत क्या है कि आडवाणी जी ने कोई भाषण दिया 6 दिसंबर, 1992 को? महोदया, 6 दिसंबर, 1992 को सिर्फ IB वहां नहीं था, सिर्फ कारसेवक नहीं थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल नहीं थे, शिव सेना, बजरंग दल, केवल उनके कार्यकर्ता और नेतागण वहां नहीं थे, उस समय वहां जैसा कि लालू जी ने फरमाया कि देश और विदेश के मीडिया के लोग भी थे। उस समय तक इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। मान लीजिए कि CBI ने आडवाणी जी के किसी भाषण के वीडियो टेप को गायब कर दिया, हालांकि जेटली जी बता रहे हैं कि वह रायबरेली कोर्ट में है लेकिन फिर भी बार-बार सवाल उठ रहा है कि वह टेप कहां है? मान लीजिए कि उसे गायब कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया तो अगर आडवाणी जी का उस समय का कोई भाषण होगा तो किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास उसका वीडियो टेप या ऑडियो टेप तो होगा? उस समय 6 दिसंबर, 1992 को जो कुछ भी हुआ, उसकी wide कवरेज अखबारों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम

से दी। मुझे याद है उस समय Newstrack चलता था और यह कार्यक्रम India Today वालों का था। Newstrack के माध्यम से यह पूरे देश में दिखाया गया था, कई बार दिखाया गया था। किसी न किसी के पास तो उस स्पीच का टेप होगा? आज कोई उसे लेकर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है और जहां तक मुझे जानकारी है, 7 दिसंबर को आडवाणी जी का कोई भाषण अखबारों में नहीं छपा था। उस दिन भाषण हुआ ही नहीं था। उस दिन 6 दिसंबर को अयोध्या में किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं हुआ था, यह एक सत्य है और इस सत्य के बावजूद विपक्ष की तरफ से एक जबरदस्ती की जिद प्रस्तुत की जा रही है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र हुआ था। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि षड्यंत्र नहीं हो सकता। यह एक जन-आंदोलन था इस देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी और जब इतना बड़ा आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन में कोई षड्यंत्र नहीं होता। उसमें आम जनता की भागीदारी होती है और आम जनता की भागीदारी का नेतृत्व करने वाले लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं। आडवाणी जी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय मैंने कुछ विटनैसेज के स्टेटमेंट पढ़कर सुनाए थे जो उस समय आडवाणी जी के साथ थे, उन्होंने बताया था कि जिस समय वह ढांचा गिरा, उस समय आडवाणी जी क्या कर रहे थे और उनके ऊपर क्या गुज़र रही थी, वे किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह से उनको तकलीफ हो रही थी। मुझे उस विषय में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि रोज-रोज अगर CBI के वकीलों के तर्कों के आधार पर, उनके arguments के आधार पर सदन में यूं ही चर्चा होती रही तो CBI की स्वायत्तता नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। CBI के प्रति अगर रोज-रोज संसद में अविश्वास प्रकट किया गया तो CBI का काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि संसद में एक तरह से समानांतर मुकदमा चलाया ज़ा रहा है अयोध्या के प्रश्न पर, अयोध्या के मामले के CBI की भूमिका पर।

महोदया, मैं मूलत: इस प्रस्ताव के ख़िलाफ था। मैंने चेयरमैन साहब को चेम्बर में जाकर बताया कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, हर हफ्ते हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यह सभापति जी का निर्णय है और उस निर्णय को हमने स्वीकार किया और आज मैं इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। मेरा निवेदन है कि रोज-रोज, प्रतिदिन CBI के बारे में जिस प्रकार का विषय उठाया जा रहा है, उस विषय को अब यहीं पर संपन्न किया जाए, खत्म किया जाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो विषय है, वह विषय सालों-साल से लंबित पड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन में सालों-साल से सक्रिय रहे, मैं कह सकता हूं कि अपनी पूरी जिंदगी जिन्होंने न्योछावर कर दी, परमहंस रामचन्द्र दास जी का देहांत हो गया और उनकी अंत्येष्टि पर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए। उनके लिए श्रद्धांजलिस्वरूप प्रधानमंत्री

जी ने जो कुछ कहा, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब सवाल यह उठा कि किसी की मौत पर प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस दो दिनों से इस प्रकार का शोर मचा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर एक उद्योगपति की मौत होती है तो उस उद्योगपति ने अपने जीवन में क्या-क्या किया, क्या-क्या उपलब्धियां हासिल कीं, इसके ऊपर चर्चा होती है। जब धीरूभाई अम्बानी जी की डेथ हुई थी, उसमें बड़े-बड़े लोग गये थे, सबने कहा कि धीरूभाई अम्बानी ने एक बहुत बड़ा empire खड़ा किया। एक छोटे से स्तर पर उन्होंने उद्योग शुरू किया और इतना बड़ा Reliance Group खड़ा कर दिया। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये सारे लोग जाकर किसी उद्योगपति के उद्योग के बारे में क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से परमहंस रामचन्द्र दास जी का पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन पर न्योछावर हुआ था। यह उनका सपना था।

प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि यह उनके जीवन का सपना था, उनका सपना साकार करना ही चाहिए और उनके सपने को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही मैं उसका स्वागत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं। आज मैंने एक बयान पढ़ा। ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री जी ने भूमिका स्पष्ट की जैसे कि उनकी प्रारम्भ से भूमिका रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन इस बारे में या तो अदालत की तरफ से फैसला हो या बातचीत के जरिए फैसला हो।

श्री राजीव शुक्ल: रामचन्द्र परमहंस दुखी थे।

श्री संजय निरुपम: आप जैसे हिन्दू विरोधियों के विरोध के कारण रामचन्द्र परमहंस दुखी थे। यह एक सच है।

श्री राजू परमार: आपने ठेकेदारी की है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: इसलिए क्योंकि आपकी मुसलमानों की ठेकेदारी के लिए हमको हिन्दुओं की ठेकेदारी लेनी पड़ी। ...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: जिसने बाबरी मस्जिद गिराई वह हिन्दू नहीं है और न कोई और है, वह केवल एक क्रिमिनल है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: सुप्रीम कोर्ट कहे या दुनिया की कोई भी कोर्ट कह ले 1992 को जो हुआ था वह एक पावन कृत्य था, एक पराक्रम था उस पराक्रम पर हमें कोई शक नहीं है, हमें कोई अफसोस नहा है। अगर आपको अफसोस है तो अपना अफसोस अपने पास रखिए। आपके प्रधान मंत्री ने उस समय घोषणा की थी कि मस्जिद वहीं

बनेगी। तो क्यों वहां मस्जिद नहीं बन रही है? अब क्यों नहीं बोलते कि मस्जिद बनेगी।..(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): यह सरकार वाले सहमत हैं जरा उनसे पूछ लो। ...(**व्यवधान**)... आप उनकी सहयोगी पार्टी हैं इसलिए जरा उनकी भी राय ले लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: संजय जी, अब आप बैठें।

श्री संजय निरुपम: मैडम, मैं वाइंडअप कर रहा हूं। प्रधान मंत्री जी का कल-परसों बयान आया कि बिल्कुल वही भूमिका रहेगी, या तो अदालत के जरिए फैसला हो या बातचीत के जरिए। हमारा यहां पर थोड़ा सा मतभेद है। रामजी के जन्म स्थान पर जो मंदिर बनाने का प्रश्न है उसको अदालतों के जरिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बातचीत की बात हम स्वीकार कर सकते हैं। बातचीत भी झुक कर नहीं करनी है। सामने से मुस्लिम समाज को आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को। धीरे-धीरे मुस्लिम मानस में परिवर्तन आ रहा है, यह भी मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि परसों जब मुम्बई में बंद हुआ घाटकोपर विस्फोट के बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि शिव सेना की तरफ से एक मुम्बई बंद का आयोजन किया गया और उसका मुम्बई के मुसलमानों ने समर्थन किया और मुम्बई के सारे मुस्लिम इलाकों में पूरी तरह से सौ-फीसदी बंद रहा। यह इस बात का सबूत है कि मुस्लिम मानस धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, टाइम्स आफ इंडिया में छपे समाचार की एक लाइन पढ़ का सुनाए देता हूं।

श्री जीवन राय: डर के मारे किया है।

श्री संजय निरुपम: अगर टाइम्स आफ इंडिया कहे तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। टाइम्स आफ इंडिया ने परसों क्या लिखा है मैं आपको बतला देता हूं। ...(**व्यवधान**)

मैडम, एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कपिल सिब्बल बोल रहे थे तो हम शांति से सुन रहे थे। अगर आप में इतना धैर्य नहीं है सुनने का तो आप सदन से बाहर जाकर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... मैं कहता हूं कि आप सुनिए। अगर आप नहीं सुन सकते तो जाकर बैठिए। जब आप बोल रहे थे तो हम पूरे धैर्य के साथ आपको सुन रहे थे।

श्री राजीव शुक्ल: गुस्सा मत होइए।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: मुम्बई बंद में मुस्लिम समाज ने कैसे सपोर्ट किया इसकी मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ कर सुनाता हूं:

I quote: "Mumbai bandh got Muslim support—Wednesday's bandh will go down in history as the first Shiv Sena called bandh which was supported by Muslims. In fact, minority-dominated localities, such as Bhendi Bazar, saw joint rallies by Muslims and the Sena to condemn the recent bomb blasts here."

यह एक नया परिवर्तन आ रहा है मुस्लिम मानस में परिवर्तन है। निश्चित तौर पर मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी जिस तरह से सारे समुदायों को एक आत्म-विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका असर मिल रहा है, उसका असर आ रहा है, उसका फायदा हो रहा है। तो अब कम से कम इस देश में भगवान के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए अयोध्या के मुद्दे पर बार-बार सुबह-शाम एक नया साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की आप कोशिश न करें। जब तक अयोध्या में भगवान रामचन्द्र के जन्म स्थान पर जहां रामलला विराजते हैं वहां मंदिर नहीं बनेगा तब तक सचमुच इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण तैयार नहीं हो सकता और जब तक आप विरोध करते रहेंगे इस देश में साम्प्रदायिक तनाव बना रहेगा इस बात की मैं आपके सामने आज घोषणा करता हूं।

चलते-चलते मैं सिर्फ एक जानकारी देता हूं। कपिल सिब्बल जी बतला रहे थे कि सीबीआई को यूज किया जाता है राज्यों में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए, अपने विरोधियों को फंसाने के लिए। कपिल जी, मैं आपको बतला दूं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। दो बड़े करप्शन के केसेज निकले हैं दो बड़े स्कैम हुए और दोनों स्कैम में, रवि साहब यहां बैठे हैं वे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं शायद उनको याद होगा वे जानते होंगे। 3600 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का एक स्कैम है। खुद आडवाणी जी ने पूना में जाकर के, मुम्बई में जाकर के घोषणा की कि इसकी छानबीन सीबीआई के जरिए होनी चाहिए। आज तक सीबीआई के हवाले नहीं किया गया है। दो-तीन साल से वह मामला लटका हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: जैसे गुजरात में नहीं किया गया है।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: आपने गुजरात का जिक्र किया, इसलिए मैं महाराष्ट्र का किस्सा सुना रहा हूं। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र में 36 सौ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उसमें इनकी सरकार के लोग शामिल थे, इनके पुलिस अफसर शामिल थे। उसमें इनके होम मिनिस्टर का नाम आ रहा है। लेकिन आज तक उस मामले को सीबीआई के हवाले नहीं किया जा रहा है। अगर सीबीआई पाक साफ और पवित्र है तो आप क्यों उसका इन्वेस्टीगेशन खुद कर रहे हैं?

दूसरा मामला है। पिछले से पिछले साल कोआपरेटिव स्कैम हुआ। महाराष्ट्र के कोआपरेटिव बैंकों के एक हजार करोड़ रुपये ...(व्यवधान)... महाराष्ट्र के कोआपरेटिव बैंकों के एक हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। सारे के सारे कोआपरेटिव बैंक राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं के कंट्रोल में हैं, उनके कब्जे में हैं। उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये छोटे-छोटे निवेशकों के लूट डाले। हमने डिमांड की, हमने यहां डिमांड की, हमने मुम्बई में डिमांड की लेकिन आज तक उस मामले की छानबीन नहीं हुई है। जिन लोगों ने बैंकों को लूटा है, वही लोग आज पूरे बैंकों के घोटाले की छानबीन कर रहे हैं। इसलिए कम से कम जब आप गुजरात का प्रश्न उठा रहे है तो महाराष्ट्र के बारे में अपने तरफ भी थोड़ा झांककर देख लीजिए। मुझे सिर्फ इतना ही निवेदन करना है।

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय उपसभापति महोदया, 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में जो शर्मनाक घटना हुई, उसके लिए कुछ लोगों ने उसे राष्ट्रीय त्रासदी का नाम दिया और कुछ लोगों ने यह कहा कि जो हमारी भारतीय परम्पराएं हैं, रीति-रिवाज हैं, हमारे विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, दरअसल यह उनकी भावनाओं का अपमान है। खासतौर से जो इस बात में यकीन रखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, उनके मुंह पर विशेष रूप से उस दिन कालिख पुती।

महोदया, अयोध्या प्रकरण निश्चित रूप से बहुत संजीदा है, बहुत संवेदनशील प्रकरण है। इस प्रकरण का समाधान ढूंढने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन जब लापरवाही बरती जाती है तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि बारम्बार सदन से बाहर और सदन के अंदर लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि आखिर एक गैर-जवाबदारी ढंग से इस प्रकरण को क्यों देखा जा रहा है, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? पिछले 32 सत्रों में इस विषय पर 45 बार चर्चा हुई है और इस चर्चा में परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 20 बार भाग लिया और उन्होंने 20 बार अपने कथन में परिवर्तन किया। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं वापस उस मुद्दे पर आना चाहता हूं कि आखिर कौन सी बात है जिसके पीछे लोग उत्तेजित हैं; उद्वेलित हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग उन लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है जो अयोध्या के प्रकरण में, उस लज्जाजनक घटना के होने में किसी न किसी रूप में जिम्मेदार थे। विशेषरूप से वे जो अतिमहत्वाकांक्षी हैं।

उपसभापति महोदया, बार-बार यह बात आती है कि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। हम चाहते तो केस को वापस ले सकते थे। लेकिन मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 की घटना के बाद जो क्राइम नम्बर 198/1992

रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद 10 दिसम्बर, 1993 को सीबीआई ने एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल की कि वह फरदर इन्वेस्टीगेशन करना चाहती है। और उसको जब अनुमति प्रदान की गयी तो सीबीआई ने एक कंसोलिडेटिड चार्ज शीट 11 अक्तूबर, 1993 को पेश की जिसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य लोगों को धारा 120 बी आईपीसी के तहत आरोपित साबित किया गया। प्रश्न इस बात का उठता है, आदरणीय सभापति महोदय ने भी यह कहा था कि आखिर वे सारे डाक्यूमेंट्स बताए जाएं जो वहां सबमिट नहीं हुए। महोदया, सारे वक्ताओं ने दूसरी बातें कह दी हैं, मैं उन्हीं डाक्यूमेंट्स का जिक्र करना चाहूँगा जो डाक्यूमेंटस वहां सबमिट नहीं हुए हैं। और जिन डाक्यूमेंटस की लिस्ट, लखनऊ के कोर्ट में 4.10.1993 को annexure II के अंतर्गत, जो सीबीआई के एसपी हैं, उन्होंने सबमिट की थी, आखिर वे डाक्यूमेंट्स कौन से हैं? क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट का डिसीज़न हो चुका है, मैं बताना चाहता हूं कि एक वीडियो टेप है, जनवरी 1993 का, जिसमें बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने का जिक्र है, जिसमें श्री रामजी गुप्ता का इंटरव्यू है। आचार्य धर्मेन्द्र का इंटरव्यू है, उसका वीडियो टेप है। जिसमें पवन पांडे वगैरह के इंटरव्यू हैं। एक वीडियो कैसेट है जो दूरदर्शन का VC-4 के नाम से है। उसका हैडिंग है "Final Assault." फिर एक वीडियो टेप है जो VC-5 के नाम पर है। फिर एक वीडियो टेप है जो दूरदर्शन का है, VC-6 के नाम पर है। फिर VC-7, VC-8, VC-9, VC-10, VC-14 और VC-15 है। एक Communique TV News का वीडियो कैसेट है। एक वीडियो कैसेट के.बी. उमेश कुमार के इंटरव्यू का है, एक वीडियो कैसेट राम कुमार साहू, जिसने फैज़ाबाद की फोटाग्राफ ली थी, का है। एक वीडियो कैसेट, जिसमें चीफ मिनिस्टर के विज़िट का उल्लेख किया था, उसमें आडवाणी जी को दिखाया गया था, 25.6.91 का है। 5 of U Matic 20 MTS video cassette HTV Ltd. का है। 6 numbers of U-Matic 20 MTS वीडियो टेप हैं, नम्बर 153, जिसका हैडिंग था, "Communique TV News". उसके अलावा चार कैसेट और हैं। 4 Nos. of U-Matic Video Cassettes, News Track, New Delhi का है। 3 Nos. of audio cassettes हैं जो डीजीपी यूपी से प्राप्त हुए थे, उसमें कल्याण सिंह जी की स्वीचिज़ और लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह की स्वीचिज़ का उल्लेख है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: यह कहां से आयी?

श्री सुरेश पचौरी: यह सीबीआई की चार्ज शीट है। अगर आप कहें तो...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: यही सुनना चाह रहे थे।

श्री सुरेश पचौरी: अगर आप कहें तो मैं आथेंटिक करके इसको टेबल पर रख सकता हूं क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर में इस ऐनेक्सचर का उल्लेख है। मैं गैर जिम्मेदार बातें नहीं किया करता हूं। अब बात आती है कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। अयोध्या प्रकरण, जो लखनऊ का कोर्ट है - परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं - उनका उल्लेख करता है, जो अति महत्वाकांक्षी हैं और जिनकी इच्छा पूर्ति के लिए परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का उपयोग किया जा रहा है। वे कौन हैं जिनकी इच्छा पूर्ति की जा रही है? मैं स्वर्गीय रामचन्द्र परमहंस की इच्छा पूर्ति का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं उस तथाकथित 'लोह पुरुष' की इच्छा पूर्ति के लिए इस सीबीआई का मिसयूज़ किया जा रहा है और उसमें प्रधान मंत्री जी की आड़ ली जा रही है, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। अयोध्या प्रकरण के केस में उस समय जज ने क्या कहा था, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं, "5.12.92 को एक गोपनीय बैठक विनय कटियार के घर हुई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, पवन कुमार पांडे आदि ने अंतिम निर्णय विवादित ढांचे को गिराए जाने के संबंध में लिया।" यह किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई बात नहीं है। यह किसी राजनैतिक दल के द्वारा कही हुई बात नहीं है। कोर्ट में जो जजमेंट हुआ, यह उसकी कॉपी है। विवादित ढांचा क्यों ढहाया गया, कैसे ढहाया गया, इसकी परिणति 6 दिसम्बर, 1992 को हुई। इसका आरंभ आडवाणी जी की रथ यात्रा से हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में परम आदरणीय जज महोदय कहते है, "इसी परिप्रेक्ष्य में सितम्बर 1990 से लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए लायी गयी, जहां पर उन्होंने भिन्न भिन्न हिन्दू धर्म की राजनैतिक पार्टीज़ और उनके नेताओं से संपर्क किया जिसमें उनका मुख्य विषय राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया जाना था।"

ये कोर्ट की जजमेंट के अंश हैं।

तीसरे, गुंबज के संबंध में है कि आखिर 6 दिसम्बर को क्या हुआ? यह बात तो है कि पहले वे जनसभाएं ले रहे थे और उनमें तरह-तरह की बातें कह रहे थे। जो अयोध्या का श्वेत-पत्र सरकार ने जारी किया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है, उस समय कब क्या कहा गया। माननीय न्यायमूर्ति द्वारा यह स्पष्ट रूप से परिपादित किया गया कि एक ही क्रम में विभिन्न अपराध भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जब 1.30 बजे तक कारसेवक गुंबज को नहीं गिरा पाए तब कारसेवक नीचे से गुंबज को गिरा रहे थे और विनय कटियार, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा अशोक सिंहल ने कई बार यह घोषणा की कि सभी लोग गुंबज से नीचे उतर आइए क्योंकि गुंबज किसी भी क्षण गिरने वाला है। प्रश्न यह है कि एक होता है मर्डर करने वाला, एक होता है मर्डर देखने वाला, एक होता है मर्डर की साजिश करने वाला। यह तो लर्नेड वकील

ही बताएंगे कि किस पर कौन-कौन सी धाराएं लगा करती हैं? लेकिन महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2002 को ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: महोदया....

श्री सुरेश पचौरी: मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अशोक सिंहल जी का ले रहा हूं। सिंहल जी, आप ज़रा मेहरबानी करके सुन लीजिए। आपका जब टर्न आए, जब बोलिएगा। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2002 को एक स्पेशल कोर्ट के लिए ये डायरेक्शन दिए कि ये सारे कागज़ात जो वहां क्राइम नंबर 19892 के हैं, वे सारे के सारे कागज़ात खास तौर से चार्जशीट के तहत रायबरेली कोर्ट को पेश कर दिए जाएं। महोदया, मैं आपके ज़रिए यह जानना चाहता हूं कि कोर्ट ने क्या वे सारे वीडियो कैसेट, क्या वे सारे डॉक्युमेंट जिनका उल्लेख मैंने किया है, क्या वे सारे के सारे डॉक्युमेंट रायबरेली के कोर्ट को दे दिए हैं? यह तो मैंने वीडियो कैसेट का हवाला दिया है, इसी लखनऊ कोर्ट में Annexure 3 में, सीरियल नंबर 34 से सीरियल नंबर 41 तक के जो डॉक्युमेंट्स दिए जाने थे, जिनका उल्लेख करके मैं समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि क्या वे डॉक्युमेंट्स रायबरेली के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन 29 नवंबर, 2002 को दिया था, उसके परिपालन में क्या वे सारे डॉक्युमेंट उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं? महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा।

महोदया, जो 700 विटनेसेज थे, बात आती है कि वे विटनेसेज कौन-से थे तो मैं इन एविडेंसेज को भी सर्टिफाई करके यहां टेबल पर रख सकता हूं। वे सारे के सारे 700 ऐविडेंस जो इन कोर्ट्स में हुए थे, वे ऐविडेंस जो लिब्रहान कमीशन में हुए, जिसमें कि इन तीनों लोगों का ज़िक्र किया गया, क्या वे सारे के सारे ऐविडेंस रायबरेली के कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं? प्रश्न यह है कि वे ऐविडेंस क्या हैं? मैं उन ऐविडेंसेज को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं लेकिन जो ऐविडेंसेज पेपर में आ गई है उनका मैं ज़िक्र करना चाहता हूं। क्या वह ऐविडेंस जो प्रो॰ भीमसिंह ने, ''वॉइस ऑफ मिलियन्स'' वाले ने 23.11.92 और 3.12.92 के संदर्भ में दिया कि आर.एस.एस. चीफ और एल.के. आडवाणी की क्या वार्ता हुई थी, क्या वह ऐविडेंस वहां दिया गया है? क्या वह ऐविडेंस जो ''स्टेट्समैन'' में छपा, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के हवाले का उल्लेख करते हुए गोपाल शर्मा जी के नाम पर है, जिसमें कहा गया कि हम shovel और bricks से वहां कारसेवा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम किसी और मकसद से वहां जा रहे हैं। जो इसमें श्वेत-पत्र जारी हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि 1.12.92 को कानपुर में आडवाणी जी ने कहा था

कि कारसेवा का अर्थ भजन और कीर्तन नहीं होता और कहा कि 2.77 एकड़ अधिगृहीत भूमि पर कारसेवा ईंटों और कुदालों से की जाएगी। यह उस श्वेत-पत्र का अंश है जो तत्कालीन सरकार ने सदन के पटल पर रखा है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने मथुरा में क्या कहा? उन्होंने ...(व्यवधान)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: उस श्वेत-पत्र में जो बात कही थी, उसमें उस ढांचे का नाम बाबरी मस्जिद नहीं लिया गया क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। पढ़ लीजिए पूरा श्वेत-पत्र।

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, मैं ऑथेंटिक करके यहाँ रख देता हूं, आप ऑथेंटिक करके कह दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। चलिए यहां से शुरुआत होती है।... (व्यवधान)... मैं लिखकर देता हूं कि यह सही है। यह श्वेत-पत्र का अंश है, उसकी फोटोकॉपी है पेज नंबर 92 पर। आप लाइब्रेरी से जाकर ले आइए। अगर वह गलत हो तो महोदया तो मैं बैठ जाता हूं। यह टोका-टाकी नहीं चलेगी। वैसे ही देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले लोग मेरे साथ टोका-टाकी करें, यह मेरे लिए असहनीय होगा।...(व्यवधान)... महोदया, मुरली मनोहर जोशी ने 1.12.92 को मथुरा में कहा...... उन्होंने लोगों से, अयोध्या में कार सेवा में, बड़ी संख्या में शामिल होने और कथित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की अपील की। इसके साथ उमा भारती ने 3.12.92 को फैजाबाद में 6 दिसम्बर को उस स्थल से राम जन्म भूमि के निर्माण के लिए संकल्प को दोहराया, जहां से इसे जुलाई, 92 में रोका गया था। महोदया, प्रश्न यह उठता है कि और कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स हैं, कौन-कौन सी बातें हैं जो वहां सबमिट नहीं हो पाईं। ...(व्यवधान)... मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। महोदया, क्योंकि खुद सभापति महोदय ने कहा था कि आप इधर-उधर की बात न करके सीधे बताना कि कौन-से डाक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हुए हैं, कौन-से वीडिओ टेप्स सबमिट नहीं हुए हैं। महोदया, इसलिए मैं कोई राजनीतिक रंग न देकर सीधे उन बातों पर आ रहा हूं। मुरली मनोहर जोशी जी के संबंध में मोहम्मद सुब्रती ने अयोध्या में 6.12.92 को बयान दिया था, उस वक्त क्या स्लोगन उपयोग किया था, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसे चैक करा लें। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स की 2.12.92 की वह रिपोर्ट देख लें जोकि आई०बी० की है। उसमें मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती, विनय कटियार और बाकी के नामों का उल्लेख किया था। यदि वह रिपोर्ट न मिल पाए तो कोशिश की जाएगी वह रिपोर्ट आपको उपलब्ध कराई जा सके।...(व्यवधान)... महोदया, अब बात आती है कि ...(व्यवधान)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): मैडम, ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी: अहलुवालिया जी मैं तो...(व्यवधान)... 6 दिसम्बर की घटना के बाद ...(व्यवधान)...

उपसभापति: सुरेश पचौरी जी, समय का ध्यान रखिए क्योंकि आपके दो स्पीकर्स हैं और 18 मिनट का टाइम था। मुझे लगता है कि आपके 18 मिनट तो पूरे हो गए हैं।

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, मैं तो इनसे यही पूछ रहा हूं कि 'तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा?' महोदया, ये बीच में टोका-टाकी बंद कर दें तो ऐसी बात नहीं होगी। मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहता कि जब 6 दिसम्बर, 92 की घटना हुई थी ...(व्यवधान)... महोदया, 6 दिसम्बर के बाद जब इसी सदन में चर्चा हुई थी तो 21 दिसम्बर, 92 को परम आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने इस संबंध में क्या कहा था, मैं यह कॉपी उनको दे दूंगा। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं उनकी व्यथा को समझता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के भी उस वक्तव्य को लेकर आया हूं जो उन्होंने उस समय दिया था। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं और मैं आज बहुत दुखी मन से बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उस सदन में कहा कि भावना किसी मानव की भी होती है, आखिर मेरी भी भावना है। गीता के अध्याय-दो के श्लोक-13 में लिखा हुआ है कि कर्तव्य से ऊपर भावना हुआ करती है। जब कर्तव्य भूलकर धृतराष्ट्र ने राज धर्म का पालन नहीं किया तो उस राष्ट्र का विनाश हो गया था। मैं आपसे बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां वेद, उपनिषद और शस्त्रों में शब्द को 'ब्रह्म' कहा गया है। मुंह से कोई शब्द निकल जाए और चाणक्य नीति यह कहती है कि देश के राजा को बड़ी संयमी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मैं उनसे उम्र में छोटा हूं। उनकी बहुत कद्र करता हूं। मैं नहीं समझ पाता मैं वाकई नहीं समझ पाता, बहुत दुखी हूं कि आखिर कौन-सी बातें उन्हें मजबूर कर देती हैं? वहां तो उन्होंने कहा कि मैं राजपाट छोड़ दूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप राजपाट छोड़ें, आप उनकी अंतिम इच्छा पूरी न करें। राजपाट छोड़ने के बाद, किनको बचाने के लिए सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है। आप अंतिम इच्छा किनकी पूरी करना चाहते हैं? आपने कहा, मैं उस वक्तव्य को भी लेकर आया हूं। आपने यह कहा कि मैं रामचन्द्र परमहंस की अंतिम इच्छा को पूरी करने का संकल्प लेता हूं। कौन-सी अंतिम इच्छा? मैं उनके वक्तव्य को लेकर आया हूं। जनसत्ता, 3 मार्च, 2002 'परमहंस को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं।' यह अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं?·'शकराचार्य का फार्मूला मंजूर नहीं', परमहंस, यह अंतिम इच्छा पूरी

करना चाहते हैं? परमहंस ने कहा, हिन्दू समाज की आस्था की सौदेबाजी पर कर रहे जय। परमहंस ने यह घोषणा की कि काशी, मथुरा पर दावा नहीं छोड़ेंगे और अयोध्या, फैजाबाद की सीमा के बाहर ही कोई मस्जिद बनने दी जाएगी। हमने तीस हजार मंदिरों को पहले ही ऐसे छोड़ रखा है जिन पर मस्जिदों का निर्माण हो चुका है। अब काशी और मथुरा को तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, परमहंस। ...(व्यवधान)... क्या स्वर्गीय परमहंस ...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Madam, I want to raise a point of order.

उपसभापति: हां बोलिए। ... ...(व्यवधान)...

SHRI SURESH PACHOURI: Under which Rule, do you want to raise the point of order? No, I am not yielding. Let me know the Rule.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Under the Rule a Member can raise a point of order?

SHRI SURESH PACHOURI: No, Madam, he will have to mention under which Rule he is raising the point of order. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one Rule only. ...(*Interruptions*)...

SHRI SURESH PACHOURI: No, Madam, he will have to quote the Rule.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not the question....(*Interruptions*)... You take the book and quote the Rule. But, it is for the Chair ...(*Interruptions*)...

SHRI SURESH PACHOURI: No, Madam, he will have to quote the Rule. You please quote the Rule.

SHRI BALBIR K. PUNJ: The Rule is that you cannot read from the newspapers. ...(*Interruptions*)...

उपसभापति: आप पूछिए न, क्या कह रहे थे?

SHRI B.P. SINGHAL: The Rule is that the speaker should not be irrelevant in his speech. This has no relevance to the subject-matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think, when the Member asked under which Rule, there is only one Rule—which is only in the Rule Book—that, with the permission of the Chair, any Member can, on a discussion, not in the Question Hour, get up and ask for a point of order. It is for the Chair to decide whether the point of order is relevant or irrelevant.

श्री सुरेश पचौरी: ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: But, he has not raised a point of order.

SHRI SURESH PACHOURI: Okay, thank you very much. मैडम, वे समझदार हैं। मैडम, मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य, उनकी व्यथा, उनकी परेशानी का जिक्र कर रहा था। मैं चाहता हूं कि वे मजबूर प्रधान मंत्री न हों, मजबूत प्रधान मंत्री हों। मैं चाहता हूं कि वे किसी भावना में न बहकर कर्त्तव्य पालन करते हुए देश की सेवा करें। मैं चाहता हूं कि वे चाणक्य नीति और नीति वाक्य का प्रयोग करें। यह नीति वाक्य है कि ''प्राण जाए, पर वचन न जाए'' पर यहां तो यह है कि सरकार बची रहे, वचन भले ही चला जाए। यह नहीं होना चाहिए। हमारे यहां नीति वाक्य में कहा गया है कि रंग बदलने वाली छिपकली, कांटेदार फूल, जिसमें विष होता और ऐसा राजा, जो अपना कथन बार-बार बदले उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश का प्रधान मंत्री ऐसे राजा के रूप में नहीं हैं लेकिन वे कौन-सी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारा राजा बार-बार अपना कथन बदल देता है। उस सदन में कहा गया कि राज-पाट छोड़ देंगे, जब मजबूर किया गया, मैडम, मैं आपके जरिए बड़े कष्ट से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी को वास्तव में बहुत मजबूर किया जा रहा है। यही कारण था कि पिछले समय, जब हमने यह बात उठाई थी कि वे इस सदन में प्रतिक्रिया व्यक्त करें, इस पर चर्चा की बात थी, तो हमें तो उन पर विश्वास था कि वे जो बोलेंगे, हम सुनेंगे लेकिन उनके लोगों को उन पर विश्वास नहीं था। तब भी मैंने कहा था कि हमें प्रधान मंत्री जी पर विश्वास है कि वे जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आज भी वे जब इंटरवीन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर उनकी नजरों से वे वीडियों कैसेट ओझल कराए गए, अगर वे वीडियो कैसेट टैम्पर्ड कर दिए गए, वे मैन्युस्क्रिप्ट, वे ट्वेन्टी नाइन वीडियो कैसेट, जो लखनऊ की कोर्ट से रायबरेली देने थे ...(**व्यवधान**)... लखनऊ की कोर्ट से रायबरेली देने थे ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: महोदया, वे सारे टेप कोर्ट के कब्जे में हैं। उन पर शक करना कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, कोर्ट पर आक्षेप करना है...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: अच्छा आप लॉ मिनिस्टर बन गए हैं ...(**व्यवधान**)... लग रहा है कि आप लॉ मिनिस्टर बन गए हैं जो आपको पता है...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: महोदया, 1992 से वे सारे वीडियो टेप कचहरी के पास हैं। इसके बावजूद हमारे मित्र आक्षेप लगा रहे हैं कि उनको टैम्पर्ड किया गया है तो क्या ये ज्यूडिशियरी पर आक्षेप लगा रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: आप अपना यह वक्तव्य पढ़ लेना।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: नहीं, आप मेरा वक्तव्य बांटते रहिए।

श्री सुरेश पचौरी: बांटता नहीं, मैं उसका उपयोग करूंगा, मैं केवल आपको दिखाऊंगा...(**व्यवधान**)... तब आपकी तकलीफ क्या थी...(**व्यवधान**)...किसी देश में ...(**व्यवधान**)... तकलीफ क्या थी...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: माला बनाकर उसे जप लो...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: महोदया, इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: मैं वैसा नहीं करता हूं...(**व्यवधान**)...महोदया, यह जो टोका-टाकी का समय है उसे मेरे बोलने में न जोड़ा जाए...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: जब वे किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी को दिए ही नहीं गए तो किसने टैम्पर्ड किए...(**व्यवधान**)...यह बताएं...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: प्लीज, आप बैठिए...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेश पचौरी: महोदया, मैं यह निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री केवल भाजपा घटक के प्रधान मंत्री नहीं हैं, प्रधान मंत्री उस एन.डी.ए. के प्रधान मंत्री हैं जिसका अपना एक एजेंडा रहा है, उसी एन.डी.ए. के मंत्रियों ने बहुत कुछ कहा ...(**व्यवधान**)... उसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री इस देश के भी प्रधान मंत्री हैं। 6 दिसम्बर, 1992 को जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई, जो विध्वंस हुआ, जो लूटमार हुई, जो खून-खराबा हुआ, कई निर्दोष लोगों की जानें गईं, उससे यह देश उद्वेलित हो गया। उसी का कारण है कि इस सदन में बारम्बार चर्चा होती है और यह कहा जाता है कि बारम्बार इस विषय में चर्चा क्यों होती है। प्रधानमंत्री जी, यदि समय रहते आप दमनता से कदम उठा लें, वे सारे उनतीस के उनतीस वीडियो कैसेट बगैर टैम्पर्ड किए रायबरेली

की कोर्ट को उपलब्ध करा दें। 700 के 700 विटनैसेज़ की कॉपी आप रायबरेली के कोर्ट को उपलब्ध करा दें, तो मैं सोचता हूं कि आप अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे। ऐसी आवश्यकता नहीं होगी कि आपको भावनाओं में बहकर राजपाट छोड़ने की घोषणा करनी पड़े।...(व्यवधान) महोदया, मैं आपके जरिए यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मेहरबानी करके किसी की अंतिम इच्छापूर्ति की दिशा में कदम न बढ़ाएं। यदि किसी की इच्छापूर्ति करें तो देशवासियों की कसौटियों पर खरा उतरें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Suresh Pachouri ji you asked from the Chair, 'under which Rule', so it is under Rule 258. Under Rule 258, with the permission of the Chair, any Member can ask for a point of order. So, please, I am telling all the Members, because they keep asking Members 'under which Rule'. So, all the Members should read the Rule 258. And, it is the Chair's decision to accept it or not. So, the question which you put was wrong.

SHRI SURESH PACHOURI: Madam, I have to say something about it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, you don't have to say anything. I have the next speaker Kalraj Mishra ji to speak. ...(*Interruptions*).

SHRI SURESH PACHOURI: No, Madam, every Member has a right to ask under which Rule other Member is trying to interrupt him in the form of point of order. ...(*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Suresh Pachouri ji, ...(*Interruptions*). Just a minute, he is addressing me, let me answer. It is for the Chair to decide whether he is interrupting or not because I have to find out what he has in his mind. I am not a mind reader. When somebody raises the point of order, from here, from there or from this side, the Chair has to find out what he wants to say. This had been done in umpteen cases, not only in your case. I have to decide. I cannot decide without listening.

श्री सुरेश पचौरी: मैडम, आप उस आसंदी पर विराजमान हैं कि मैं प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी मैंबर ...(व्यवधान)... कोई भी मैंबर अगर सवाल उठाता है तो हमें पूछने का अधिकार है कि किस रूल के तहत वह प्वायंट् ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा है।

उपसभापति: एक मिनट, मैंने आपको बता दिया...(**व्यवधान**) आप बैठ जाइये। एक मिनट, आप लोग चुप रहें। आप भी चेयर की रूलिंग क्वश्चन कर रहे हैं। You asked, 'under which Rule'. It is the duty of the Chair to let you know the Rule and I have sent you the Rule Book. The Chair has to decide whether anyobody is interrupting or genuinely he has a point. Until and unless I hear, I cannot say this. I mean, you may be having a very strong point, but somebody might have another strong point. It is for the Chair to decide. Otherwise, who will decide?

श्री सुरेश पचौरी: ठीक है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, अयोध्या के प्रसंग पर कई बार चर्चा हो चुकी है और आज सी॰बी॰आई॰ को संदर्भित करते हुए चर्चा की जा रही है। यद्यपि इसके पहले वाले सप्ताह में भी इसी प्रकार की कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन तो भी यह चर्चा बराबर चल रही है। यहां हमारे जो सबसे पहले वक्ता श्रीमान् सिब्बल साहब थे, वे विधि विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक तथ्यों को परे रखकर, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। एक तरह से अगर मैं यह कहूं कि सदन के माध्यम से देश को भी गुमराह करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, जबकि हमारे अरुण जेटली जी ने उसी अपने विद्वतापूर्ण ढंग से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। महोदया, एक बात बहुत तेजी से कही गई, अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है, वह ढहा दी गई और वहां एक विशेष वर्ग को बड़ा आघात पहुंचा। मैं यह कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: हम कहते हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र: मैं उसी पर आ रहा हूं। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस स्थान पर वह ढांचा खड़ा था, सही मायने में वहां पर रामलला विराजित थे, वहां पूजा-अर्चना हो रही थी। कुछ लोगों ने...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: 1950 में ...(व्यवधान)... सच्चाई को मत छिपाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र: कुछ लोगों ने ...(**व्यवधान**)... कुछ लोगों ने उसके बारे में वहां रामलला विराजित क्यों हैं, इस संबंध में कुछ लोगों ने अपील भी की। केस में गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 जून, 1950 को निचली अदालत ने यह आदेश दिया

कि कोई भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी वहां पर चल रही पूजा-अर्चना को किसी भी विधि से अवरुद्ध नहीं कर सकता। यह अदालत का निर्णय है। उस अदालत ने आदेश दिया और उस आदेश के आधार पर वहां पूजा-अर्चना चलती रही। इतना ही नहीं, उसके बावजूद कुछ लोग उच्च न्यायालय में गए तो वहां भी विद्वान जज ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, जिसका वह भाग मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने उसमें कहा कि कम से कम वर्ष 1936 से मुसलमानों ने इसे न तो मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया और न ही कभी यहां नमाज पढ़ी गई। यहां दिसंबर, 1949 से हिन्दू नियमित रूप से इस विवादित स्थल पर बराबर पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। यह अदालत का निर्णय है। अदालत ने यह निर्देश दिया है, अदालत ने यह फैसला दिया है और उसके आधार पर वहां पूजा-अर्चना चलती रही है।

महोदया, अभी माननीय सुरेश पचौरी जी ने श्वेत-पत्र का जिक्र किया। जो सिंहावलोकन के नाम पर श्वेत-पत्र जारी हुआ था, उस श्वेत-पत्र के अंतर्गत यह बकायदा दिया है। इसमें यह स्पष्ट स्वीकार कर रहा है कि अब तक यह निश्चित है कि दिसंबर, 1949 से लेकर 6 दिसंबर, 1992 तक यह विवादित (ढांचा) मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ। यह श्वेत-पत्र के अंतर्गत दिया है अर्थात जो ढांचा ध्वस्त हुआ, वह मस्जिद नहीं थी। श्वेत-पत्र के अंतर्गत यह भी है कि इसमें मस्जिद के नाम से कहीं भी इसे संबोधित नहीं किया गया है। विवादित ढांचा या रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर को विवादित पूजा स्थल तो बोला गया है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से इसे कहीं भी इंगित नहीं किया गया है। इसी के अंदर पृष्ठभूमि के अंदर, जो श्वेत-पत्र की पृष्ठभूमि है सिंहावलोकन की, उसमें बकायदा दिया है, इन अध्याय में यह बहुत स्पष्ट बताया गया है कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर इस ढांचे का प्रचलित नाम है।

महोदया, 6 दिसंबर को जो घटना हुई, हमारे नीलोत्पल जी ने यह बात सही कही कि लाखों लोग वहां एकत्रित थे और जब लाखों लोगों का जो अपना प्रवाह चला उसे कोई रोक नहीं पाया और इसलिए यह ध्वस्त हो गया। उसमें कोई साजिश नहीं होती, लेकिन जो बाद का परिणाम हुआ और बाद का परिणाम इसलिए हुआ कि तत्कालीन प्रधान मंत्री ने, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में यह श्वेत-पत्र आया था, उन्होंने ''बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई'', इस प्रकार का उल्लेख किया और इस प्रकार का उल्लेख कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई इसने सामान्य मुसलमान परिवार को बहुत बुरी त.ह से प्रभावित किया, जिसके कारण उनके अंदर उत्तेजना फैली और उसके बाद यह सारी घटना घटित हुई। मेरा निश्चित रूप से यह मत है कि इस घोषणा के बाद ही

सांप्रदायिक तनाव विभिन्न क्षेत्रों में फैला। इसलिए इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री की उद्घोषणा के कारण इस प्रकार की सारी स्थिति का निर्माण हुआ या नहीं।

महोदया, इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं के वह स्थान हिन्दुओं का पूजा-स्थल है, यह बात उस समय भी, उन्नीसवीं सदी के 1857 के संग्राम के समय जब फैजाबाद में हिन्दू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे तो उस समय के एक अमीर अली नाम के जो प्रमुख मुसलमान थे उन्होंने कहा था कि हिन्दू और मुसलमान की एकता यहां प्रमुख रूप से है और इसलिए हिन्दुओं का पूजा-स्थल हिन्दुओं को वापस कर देना चाहिए। मैं यह इस आधार पर कह रहा हूं कि बकायदा यह गजट में आया है। यह गजट में है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1883-84 में प्रकाशित दिल्ली का गजेटियर, जो वर्ष 1907-08 में संशोधित किया गया और वर्ष 1912 में प्रकाशित हुआ और बाद में वर्ष 1976 में पूरी तरह से वह संशोधित होकर प्रकाशित हुआ। उसके पृष्ठ संख्या 134 पर कर्नल मार्टिन द्वारा की गई जो टिप्पणी है उससे बात साफ हो जाती है।

कर्नल मॉर्टिन लिखते हैं-''यह सूचना पाकर कि मुसलमानों ने स्वेच्छा से बाबरी मस्जिद हिंदुओं को सौपने का निर्णय कर लिया है, हमारे दल में बौखलाहट सी छा गई है और ऐसा लगने लगा कि अब ब्रिटिश का यहां से सफाया हो जाएगा।'' उनको लगने लगा कि हिंदू-मुसलमान एक होकर अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि अमीर अली और रामचन्द्र दास, उस समय ये दोनों बड़े प्रमुख लोग थे, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद कर्नल मॉटिन कहते हैं- ''अब ये दोनों समाप्त हो गए, इसलिए अब हम जैसा चाहेंगे, वैसा कर लेंगे। इस आंदोलन का प्रवाह समाप्त हो गया।''

श्री लालू प्रसाद: मैडम, घंटी बजाइए।

उपसभापति: लालू जी, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री कलराज मिश्र: महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए अगर हिंदू और मुसलमान सामूहिक रूप से यह अनुभव करके यह बाबरी ढांचा, जहां मुसलमानों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, 1936 से नमाज नहीं पढ़ी, यह स्वयं जज ने कहा है, सही मायने में वहां रामलला विराजित हैं और वहां उनकी पूजा हो रही है, अगर सामूहिक रूप से मिलकर सब लोग मंदिर बनाने की दिशा में प्रयत्न करें

तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इससे बढ़कर सांप्रदायिक सौहार्द का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता।

महोदया, प्रधानमंत्री जी ने परमहंस रामचन्द्र दास जी की अंत्येष्टि के समय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन वाक्यों का प्रयोग किया, मैं वहां था, प्रधानमंत्री जी ने कहा है- "परमहंस जी की परम इच्छा राम के जन्म-स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण की थी। वे बराबर उसके लिए संघर्षरत रहे। उनकी जिंदगी उसमें व्यतीत हुई और राम के जन्म-स्थान पर मंदिर का निर्माण होगा वार्ता के माध्यम से और बाकी के लोग जिनसे वार्ता चल रही है, उनको सद्बुद्धि आएगी।" यह कहा था प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी का लगातार जो स्टैंड रहा है, वे उसके विपरीत नहीं गए हैं। मंदिर निर्माण में वार्ता एक माध्यम होगा और वार्ता के माध्यम से उस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, इस बात को कहा गया ...(व्यवधान)...

महोदया, इसको दूसरे तरीके से कहा गया। जिस ढंग से श्री सुरेश पचौरी जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में "मजबूर" शब्द का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि वह उचित शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री जी कवि हृदय हैं। वे भाषा के विद्वान और शिल्पी हैं। वे भाव को अपने ढंग से प्रकट करते हुए जो भी चीज रहती है, उसको तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहीं भी अपने स्टैंड से परे होकर किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

इसलिए उनको "मजबूर" कहना ठीक नहीं है। जो उन्हें "मजबूर" कहता है, उसके बारे में मैं क्या कहूं, यह उपयुक्त नहीं होगा।

मान्यवर, इतना ही नहीं, अब यहां CBI की बात कही जाती है। श्री अरुण जेटली जी ने इसके बारे में बहुत प्रमुखता से अपनी बात रखी है। जैसाकि सिब्बल साहब ने कहा कि 6 दिसंबर को जो 2 FIR दर्ज किए गए, यह सबको पता है, इसके बारे में यह बताने की आवश्यकता है कि उसमें कहीं भी धारा 120बी नहीं है। ललितपुर में 198 अपराध संख्या गई, स्पैशल कोर्ट बनी, वही फिर रायबरेली स्थानांतरित हुई और उसमें कहीं भी 120बी नहीं है। यह मामला उस समय खड़ा होता है जब 5 अक्टूबर को, हमारे माननीय श्री सुरेश पचौरी जी ने 11 अक्टूबर कहा, मैं चाहता हूं कि वह तिथि सही कर लें, 5 अक्टूबर, 1993 को CBI ने पहली बार सभी अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप धारा 120बी में लगाया और सभी 49 लोगों के ऊपर लगाया। इस तरह अपराध संख्या 197 और 198, दोनों को मिलाकर 149 लोगों पर

सप्लीमेंटरी चार्जशीट लगाई। इतना ही नहीं, यह भी जो चार्जशीट लगाई गई, उसके बाद 26 अगस्त को केन्द्र सरकार के द्वारा 2 अधिसूचनाएं जारी की गईं। एक अधिसूचना अपराध संख्या 198 की जांच के लिए CBI द्वारा जांच करने के बारे में थी और दूसरी मीडिया के लोगों के ऊपर हुए हमले के विरुद्ध जो FIR दर्ज़ थी, उसकी जांच के बारे में थी। इस अधिसूचना के आधार पर 9 सितंबर, 1997 में विशेष अदालत ने CBI से चार्जशीट फ्रेम करने के लिए कहा। जब चार्जशीट फ्रेम करने के लिए कहा, सिब्बल साहब चले गए, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि जो चार्ज फ्रेम किया, उसके खिलाफ 33 लोगों ने हाईकोर्ट में केस दायर किया। उसमें 12 फरवरी, 2001 को लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री जगदीश प्रसाद जस्टिस थे, उन्होंने विशेष अदालत के गठन की अधिसूचना को ही रद्द किया। उन्होंने कहा कि यह अदालत विशुद्ध नहीं है उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया। मानो तकनीकी दृष्टि से बात कही जाती है। लेकिन अधिसूचना रद्द हो गई। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की इस दलील को जायज ठहराया कि नई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यह भी कहा कि रायबरेली की विशेष अदालत में एफ॰आई॰आर॰ 198 की सुनवाई चल रही है। इसलिए जरूरी नहीं कि प्रदेश चाहे तो विशेष अदालत के बारे में करना चाहे तो करे उसके ऊपर मेनेडेटरी कुछ नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रायबरेली में 198 में केस चल रहा है तो चले। जो 198 था उसमें कहीं भी 120बी नहीं था। 120बी तो विशेष अदालत समाप्त हो जाने के बाद ही समाप्त हो गया। फिर सी॰बी॰आई॰ के वापिस लेने का सवाल ही नहीं होता। फिर यह मामला कहां से उठ रहा है कि सी॰बी॰आई॰ ने यह नहीं दिया, सी॰बी॰आई॰ ने वह नहीं दिया। यह केस ही खत्म हो गया। विशेष अदालत के समाप्त हो जाने के बाद वह मामला ही निरस्त हो गया। यह जो विधि विशेषज्ञ हैं इनको इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ...(**व्यवधान**) मान्यवर लालू जी, जब आप बोलते थे तो मैं नहीं बोलता था।

श्री लालू प्रसाद: मैं व्यवस्था पर हूं। प्रधान मंत्री जी बोलने वाले हैं। ताज प्रकरण में ये लोग मायावती को फंसाना चाहते हैं। मायावती को इम्प्लीकेट करना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: जिस परपज से बोले हैं उसका यहां मतलब नहीं है।

श्री कलराज मिश्र: मान्यवर, इतना ही नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो हमारे ही सदन के सम्मानित सदस्य इस समय यहां नहीं हैं कुलदीप नैयर जी तथा कुछ लोग और, इन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य का है उसी हिसाब से चलेगा। मान्यवर, किसी ने कोई कोर-कसर नहीं रखा था। उसके बावजूद यह रायबरेली का केस चल रहा है। उस केस में कहीं भी 120बी नहीं है। सी॰बी॰आई॰ का कहीं प्रकरण ही नहीं है इसके मायने। 197 है वह लखनऊ में चल रहा है। लेकिन रायबरेली से इसका कोई मतलब नहीं है। आप विधि के ज्यादा जानकार हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि सी॰बी॰आई॰ और सी॰बी॰सी॰आई॰डी॰ अगर कहीं केस करना चाहती है तो कर सकती थी। रायबरेली में सी॰बी॰आई॰ कर सकती थी, सी॰बी॰सी॰आई॰डी॰ कर सकती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर उनको यह लग रहा होगा कि करना है तो जरूर केस करते, 120बी वहां भी करते। लेकिन उन्होंने वहां नहीं किया। इसलिए यह कहना कि सी॰बी॰आई॰ ने विद्रोह किया सरासर सदन को गुमराह करने की साजिश चल रही है। मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ये लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सी॰बी॰आई॰ ने यह किया वह किया। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुकदमों को वापिस लिया है, हमेशा मुकदमों को वापिस लिया है। मैं यह कहना नहीं चाहता सम्मानित स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा जी के ऊपर जितने केसेज थे सब वापिस लिए गए। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं हवाई जहाज का अपहरणकर्ता का भी केस वापिस लिया गया था। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार के द्वारा दबाव हो रहा है केस वापिस करने के लिए। यह कहने का कोई औचित्य नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांककर देखिए, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का प्रयत्न करिए। मान्यवर, मैं- यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ...(**व्यवधान**)

श्री कपिल सिब्बल: हमने कभी 120 के साथ ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र: जब सीधा निरस्त हो गया तो केस ही कहां?...(**व्यवधान**) लेकिन आप अपनी बात को समझते हुए जो चीज हो चुकी है, विधिक दृष्टि से हो चुकी है उसको आप गुमराह करने का प्रयत्न करें, मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मान्यवर, सदन के अंदर इस प्रकार की चर्चा फिर से कराना मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं होगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I am grateful fo you for giving me this opportunity to speak, particularly in the presence of the hon. Prime Minsiter.

Sir, I will be very short. In short, I would like to submit before the House that I am not the person who believes that the facts are not being suppressed. The facts are being suppressed by the rulers of this country today. It does not require any discussion on the nittygritty of the case. But the facts are being suppressed because the Government knows it very well, and beyond any shade of doubt, that the leaders of the Government are implicated in this case. So, it is quite natural that they are doing it. Whatever might be said, I am not the person who believes that they are not suppressing the facts. This is number one.

Secondly, who does not recognise the abominable role of the BJP in the orgy of mass murder, or—it is better to say—the genocide, in its worst pursuit to come back to political power, and to be in political power for long, for 4-5 years, at a stretch. They have sold not only the country's assets, but I must say that they have sold the land of the country, the water of this country, the air of this country, what is Sanskrit is called "क्षिति, क्रोम अप:", and also the desires, Through you, Sir, I would like to submit before the hon. Prime Minister here that his Government has sold the entire country and, as diversionary tactics to hoodwink the masses of people who are suffering under their rule ...(*Interruptions*)

श्री सभापति: सुनिए, सुनिए।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Please do not interrupt. I have got only five minutes. You have sold everything at the altar of the nation. The nation is suffering. I once again repeat that it is as diversionary tactics to hoodwink the masses of people who are suffering under your rule, that you are raising these sorts of issues. Sir, at this stage, even the hon. Prime Minister goes in for a somersault. He goes in for a somersault. For every statement of his, he needs clarifications and there are some withdrawals. I must say very seriously that the situation today has touched the nadir; and the people of this country are suffering. Truth is being trampled. There is a travesty of truth. I must tell the hon. Prime Minister that

all the documents have not been presented before the court. I must ask him whether that evidence has been kept intact or not, or, whether that evidence has been destroyed or not. That must be clearly stated. The hon. Prime Minister, Shri Vajpayee, is the Government's unquestionable Numero Uno; he is the number one. And he won't even name his successor. The Deputy Prime Minister may rise in importance, but it is only at Vajpayeeji's pleasure. There exists a classic patronising relationship, typical of the Sangh Parivar, which sets great store एक चालक अनुवर्तिता, the RSS principle of authoritarianism, of despotic and absolute rule, by a single ruler. Vajpayeeji, unfortunately, is still an insecure man, the poetic pretensions notwithstanding.

This is a serious political question whether the country will remain united or not, and whether the country will be called India or not. The way they are advancing, the way they are conspiring, the way they are hatching conspiracies in the name of religion and the way they are inciting passions in the name of religion is very dangerous for our nation. Sir, I am sorry to say that two or three days back, at the funeral of Paramhans Ramchander Das, the utterances of the hon. Prime Minister once again show that he has done a somersault. It is not good even for his health at this stage. These sorts of somersaults, and this sort of retracing and retreating, will be againt his health also. The leaders of this Government are driven by the verratlity of insatiable ambition. It has developed a stake in big-time corruption. Its State-level bosses are working at cross purposes.

Its own sister organisations is opposed to its own politics. Indiscipline is rampant in the *Parivar.* Sir, I must say that only to settle their own scores, only to set their own house in order, they are taking recourse to this sort of utterances. They are once again taking recourse to attempts to divide people in different manners. They are doing it at the alter of the entire nation.

Sir, I know that here it is not a question of only the accused and the prosecution. It is also the question of the Government, which has to take the decision. We are talking to that Government which is an accused and which is also in the prosecution.

Unfortunately, we are in the Opposition and we are feeling helpless. This has to be settled not here only; this has to be settled among the people in general, among the masses in general. With these words, Sir, I once again express my gratitude for giving me this opportunity to speak on this issue.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Hon. Chairman, Sir, the Prime Minister himself has stated that the demolition of the Babri Masjid was a heinous crime, a crime against the Constitution, a crime against all institutions of our Constitution. Sir, now, among those who are accused of this heinous crime are our Deputy Prime Minister and some of the senior colleagues of the hon. Prime Minister. Now, the dignity and the propriety of the high post the Prime Minister holds demands that when the accused are the Deputy Prime Minister and some senior most Ministers of the Cabinet, is it not in the propriety and dignity of the Prime Minister to ask them to step down till the cases are over? That is the simplest question posed not only by the Members of Parliament here but also by the people at large. It is the primary duty of the Prime Minister to uphold the dignity and the propriety of the post which he holds. I don't want to go into the arguments and data.

Sir, there are serious allegations not only from the Members of Parliament but also from the media that when the Deputy Prime Minster is an accused, the CBI cannot proceed in an impartial and correct manner. So, it also demands that the Prime Minister takes steps on this count.

MR. CHAIRMAN: Now, the Prime Minister to reply.

SHRI V.V. RAGHAVAN: Sir, I have one more thing. The Prime Minsiter has stated that Ram Mandir will be built there. What about the pulled down masjid? It is up to the Prime Minister to say that the masjid will also be built. It is the duty of the Prime Minister... (*Interruptions*) I don't think the Prime Minister shares the ideas or the opinion of Shri Nirupam when he says that the December 6 act was a holy act.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI V.V. RAGHAVAN: I think the Prime Minister does not share that view.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): सभापति जी, आज प्रात:काल जब सदन की बैठक प्रारम्भ हुई तो प्रतिपक्ष के नेता डा॰ मनमोहन सिंह जी ने तथा अन्य कुछ सदस्यों ने अयोध्या का मुद्दा उठाया और कहा कि परमहंस जी की स्मृति में जो सभा हुई, उसमें भड़काने वाली बातें कही गयीं। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं स्वयं इस सभा में मौजूद था। मृत्यु का प्रसंग था। भारी भीड़ थी। सारी भीड़ पर एक शोक की छाया फैली हुई थी। वहां उत्तेजक भाषण देने का सवाल ही नहीं था। श्रद्धांजलियां दी जा रही थीं, परमहंस जी का गुणगान किया जा रहा था। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा था कि परमहंस जी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे, ऐसे मंदिर का निर्माण अगर होता है तो वह उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। इसमें कौन सी आपत्ति की बात थी? इसमें किसकी भावनाओं को चोट लगी? जो समाचार प्रकाशित हुए उनसे यह धारणा बनी कि वहां यह भी ऐलान कर दिया गया कि मंदिर कहां बनेगा, किस तारीख को मंदिर बनेगा और कहां बनेगा? इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ऐसे नाजुक सवालों पर बोलने से पहले अगर तथ्यों का पता लगा लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब एक बात मुझे मुख्य चर्चा के बारे में कहनी है। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के विषय पर बोला है और अयोध्या मामले में इस बहस में सरकार तथा साथ ही जांच कर रही एजेंसियों की जिम्मेदारी के बारे में भी टिप्पणी की है। 6 दिसम्बर, 1992 की घटना से संबंधित मामलों में आपराधिक मुकदमा वर्ष 1993 में दायर किया गया था। चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच तथा मामलों के मुकदमे की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ही अदालत में इस मामले को देख रही है। इस मामले में कार्यवाही करने के केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं यह विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को न तो आदेश दिए गए और न ही किसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। वह जो भी कदम उठाना चाहे, उसके लिए स्वतंत्र है। किस पर मुकदमा चलाया जाना है, अभियुक्त पर किस धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना है, अभियुक्त के खिलाफ क्या साक्ष्य हैं, ये सभी ऐसे निर्णय हैं जिन पर फैसला करने की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो की है। मेरी सरकार का मानना है कि जांच करने वाली एजेंसियों के पास कानून के अनुसार कार्यवाही करने की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। यद्यपि मेरे कुछ सहयोगियों, जो अत्यंत गणमान्य लोग हैं, के खिलाफ भी मुकदमें चल रहे हैं, तथापि मेरी सरकार ने न तो उन मुकदमों को वापस लिया है और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्य-प्रणाली में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम उठाया है। मेरे कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो पर केवल प्रशासनिक निगरानी रखी जाती है। न तो मैंने और न ही मेरी सरकार

ने इन मामलों में कभी हस्तक्षेप किया है। ये मामले न्यायालय में लंबित हैं। इस मामले में अदालत की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को इन मामलों में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। किसी भी विचाराधीन मुकदमे में न्याय का हित जुड़ा होता है। न्याय के हित के लिए अपेक्षित होता है कि दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष को बरी कर दिया ज़ाए। साक्ष्य का मूल्यांकन करना और दोष या बेगुनाही तय करना न्यायालय का कार्य है। कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति विशेष के दोष और बेगुनाही तय करना न्यायालय का कार्य है। कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति विशेष के दोष और बेगुनाही के बारे में संसद में चर्चा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे विधि-सम्मत शासन भी बिगड़ जाता है। साथ ही स्वतंत्र जांच में भी हस्तक्षेप होता है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि क्यों न इस परिपाटी को समाप्त कर दिया जाए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The discussion is over. The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at fifty minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 5th August, 2003.

MGIPMRND—2905RS—17.2.2004